आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

जून 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

खेल की सत्ता और महिला शोषण का घृणित खेल

“

निश्चय ही जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, आज्ञाकारी हैं, सत्यवादी हैं, धैर्यवान हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदक़ा (दान) देने वाले हैं, रोज़े (व्रत) रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों (गुप्तांगों) की रक्षा करने वाले हैं, और अल्लाह को ज़्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए क्षमादान और बड़ा बदला तैयार कर रखा है।

(क़ुरआन, 33:35)

”

with best compliment from

Samrat Bearing

Nagpur [MS]

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

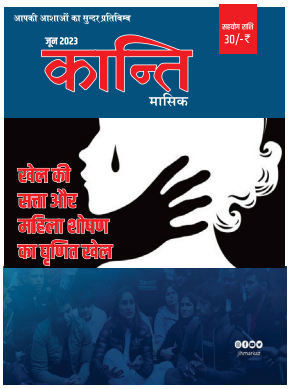
चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 12 जून 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
बुद्धिमत्ता की मांग
डॉ॰ सैयद शाहिद अली

सौंदर्य बोध 11
क्षमा मन की मलिनता को धोने का माध्यम
तबाना नूरी

मुख्य स्तंभ 13
खेल की सत्ता और महिला शोषण का घृणित खेल
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 17
महिला अपराध और हमारी जांच प्रणाली
रजनीश कपूर (वरिष्ठ पत्रकार)

समाधान 19
महिला सशक्तीकरण के ग़लत प्रतिमान और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत
संपादन प्रभाग

कविता 22
जीवन की छाया हो
सुशील कुमार शर्मा

समसामयिक 23
नफ़रत के ख़िलाफ़ सर्वोच्च चिंता
डॉ. प्रदीप कुमार

सरोकार 25
बारह महीने बाद भी...
जितेंद्र गौतम

दृष्टिकोण 29
बहुपत्नीत्व और मुस्लिम समुदाय
मिथ्या बनाम तथ्य
प्रो. शेख़ मोईन शेख़ नईम

सेहत 35
कमज़ोर पाचन, कष्ट भरा जीवन
संपादन प्रभाग

करियर 37
करियर को लेकर कैसे लें सही निर्णय?
संपादन प्रभाग

प्रेरक प्रसंग 39
"छोटी गट्ठर"

इतिहास का सच 40
इतिहास के साथ यह अन्याय क्यों?
प्रो. विशम्भरनाथ पाण्डेय

कहानी 45
तीन दृश्य एक चेहरा
कमलेश भारतीय

आख़िरी पन्ना 48
एक ख़त 'प्यारी बेटी' के नाम
अली तन्तावी

मूल प्रश्न



महिला विरोधी अपराध

मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन

शिब्ली अरसलान

महिला शोषण 21वीं शताब्दी के समाज की विकराल समस्या है। स्त्रियों और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा और प्रताड़ना, आज एक वैश्विक महामारी बनी हुई है। ये एक विडंबना है कि 21वीं सदी के भारत में तकनीकी प्रगति और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दोनों ही साथ-साथ चल रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों को समानता, सुरक्षा, गरिमा, आत्म-मूल्य और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के उनके अधिकार से वंचित करना, यह मानवाधिकार के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक है।

पुरुष समाज का वर्चस्व, मानसिक वृत्तियों, लपलपाती महत्वाकांक्षाओं, तकनीकी प्रगति के कारण बचाव की नित नई तकनीक और पूंजीवाद से उपकृत अनियंत्रित वासनाओं के परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध शोषण और प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महिला प्रताड़ना और शोषण के कई प्रकार हैं। मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत महिलाओं को ताना मारना, गाली-गलौज करना, कामुक और अश्लील टिप्पणी, या अन्य तरह के भावनात्मक ठेस पहुंचाना मानसिक शोषण है। महिला शोषण को विशेष तौर पर यौन शोषण के रूप में देखा जाता है। जिसके फलस्वरूप महिलाओं को अपने जीवन में अनेक प्रकार के नकारात्मक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रताड़ना से गुज़रना पड़ता है। इसके अलावा महिलाओं का आर्थिक शोषण भी आज की विडंबना है।

भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य का अध्ययन ये बताता है कि नारी शक्ति का भारतीय समाज में पवित्र स्थान रहा है। भारत भूमि को मज़हब ने काफ़ी सींचा है, इसी कारण भारतीय समाज में स्त्रियों का विशेष स्थान रहा है, परंतु वर्तमान समय में महिला शोषण और प्रताड़ना के बढ़ते मामले को कैसे देखा जाए, ये सब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये केवल लॉ-ऑर्डर का प्रश्न है? क्या राजनीतिक इच्छा-शक्ति तथा विस्तृत व प्रभावी क़ानून बना देने से समस्या का समाधान हो जाएगा?

वर्ष 1992 में, भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी का सामूहिक बलात्कार उच्च जाति के पड़ोसियों ने उनके पति के सामने किया। पड़ोसी अपने परिवार में एक बाल विवाह रोकने के भंवरी देवी के प्रयासों से नाराज थे। भंवरी देवी को न्याय नहीं मिला। एक निचली अदालत ने बलात्कार के आरोपियों को बरी कर दिया और कम संगीन अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराया, जिसके लिए उन्हें नौ माह जेल की सज़ा काटनी पड़ी।

लम्बे इंतेज़ार और संघर्षों के बाद इस मुक़दमे की अपील राज्य के उच्च न्यायालय में हुई, उच्च न्यायालय से भी न्याय नहीं मिला, सभी 'मुजरिम' निर्दोष रिहा हो गए। राजनीतिक दबंगों और सामाजिक बाहुबलियों का बॉयकॉट और मानसिक प्रताड़ना भी चलती रही। मगर इस कटु अनुभव से उपजे सार्वजनिक आक्रोश और सक्रियता ने करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ नए क़ानूनी संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। महिला संस्थाओं (विशाखा व अन्य) और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दिए, जिसे "विशाखा दिशानिर्देश" कहते हैं। इसके ज़रिये नियोक्ता के लिए महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क़दम उठाना और समाधान, निपटारे या अभियोजन के लिए कार्यप्रणाली की व्यवस्था करना अनिवार्य बना दिया गया। इसी दिशा-निर्देश को सामने रखते हुए वर्ष 2013 में, भारत सरकार ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर 'महिलाओं' का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम पारित एवं लागू किया। पॉश नाम से लोकप्रिय यह अधिनियम स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा के साथ-साथ

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों या सरकारी संस्थानों में और परिवहन समेत अपने नियोजन के दौरान कर्मचारी के भ्रमण के किसी भी स्थान में सभी कामगारों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह क़ानून भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी क़दम था,लेकिन देश की ज़्यादातर महिला कामगारों के लिए, ख़ास तौर से अनौपचारिक क्षेत्र के महिला कामगारों के लिए, यह क़ानून केवल क़ागज़ पर मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस क़ानून का सरकारी अमल इतना बदतर है कि अगर आज भंवरी देवी पर हमला होता, तो उन्हें अभी भी न्याय नहीं मिलता।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं, ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों, श्रम और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और शिक्षाविदों के साथ 85 साक्षात्कार किए। इन साक्षात्कारों के आधार पर पाया कि क़ानून लागू करने के सरकारी प्रयास सीमित हैं।

महिलाओं को अभी भी कलंक और प्रतिशोध के डर के कारण रिपोर्ट करना मुश्किल लगता है। साथ ही वे लम्बी न्याय प्रक्रिया से डरती है, जो अक्सर उन्हें निराश करती है।

ताक़तवर पुरुष अपने ऊपर आरोप लगाने वालों को रोकने के लिए क़ानूनी चालों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये है भारत में क़ानून की दयनीय स्थिति। तो क्या विरोध प्रदर्शन से समस्या का निदान संभव है? महिला यौन प्रताड़ना का जब कोई मामला सामने आता है तो कोई पोलिस पर भड़ास निकालने लगता है तो कोई सरकार की ख़बर ले रहा होता है। चरमपंथी नारीवादी सारे मर्दों को लानत मलामत कर रहे होते हैं तो कहीं पुरुषत्व (masculinity) पर गंभीर बहस शुरू हो जाती है। परिणाम वही बड़ा-सा शून्य...ख़ब हाय-तौबा और देर तक हो-हल्ला के बाद दूसरी घटना का इंतज़ार...।

वर्ष 2012 के निर्भया केस के बाद उपजे देशव्यापी आक्रोश और प्रदर्शन को याद कीजिये या जम्मू के कठुआ के आसिफ़ा केस के बाद उठे शोर को याद कीजिये। नारियों और बच्चियों के शोषण और उत्पीड़न का एक सिलसिला है। हर मामले के बाद विरोध प्रदर्शन, सन्नाटा और दूसरे विरोध प्रदर्शन का इंतज़ार, हमारी नियति बन गया है।

हम संस्कृति की दुहाई देने वाले मर्दवादी, सेक्स कुंठा से ग्रस्त बेशर्म समाज के लोग महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को बड़ी आसानी से राजनीति और क़ानून व्यवस्था का प्रश्न बना देते हैं। महिला शोषण के पीछे एक बड़ा फैक्टर नवपूंजीवाद का अश्लील मर्दवादी खेल है। कार का ऐड हो या मर्दाना अंडरगार्मेन्ट का, कूलर का ऐड हो या बॉडी स्प्रे का, महिलाओं का प्रदर्शन एक कमोडिटी के तौर पर अत्यंत अभद्र और अश्लील ढंग से बढ़ता जा रहा है। माडल्स नाम की विशेष प्राणियां और फिल्म व खेल की 'स्टार्स' लाखों-करोड़ों के लिए जिस तरह बाज़ार की दासी बनती जा रही हैं, उस पर नारीवादियां क्यों हंगामा नहीं करतीं? क्या नवपूंजीवादियों का ये अश्लील मर्दवादी खेल उन्हें समझ में नहीं आता? क्या पैसों के बदले महिला जिस्म की कामुक नुमाइश, नारी उत्पीड़न नहीं? मर्दवादी शातिर समाज ने नारी शोषण का नया रास्ता निकाला है। ग्लैमर की चकाचौंध में ये ले पैसा, दिखा तमाशा, शोषण का नया हथकंडा है... पुराना शिकारी नया जाल लाया...

महिला शोषण और प्रताड़ना की बढ़ती घटनाएं केवल राजनीति, क़ानून और विरोध-प्रदर्शन से नहीं रुकेंगी। व्यक्ति और समाज का जब तक व्यापक स्तर पर सुधार नहीं होगा, ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। छोटे-मोटे सुधार के लिए कई उपाय बताए जा सकते हैं, मगर दीर्घकालिक सुधार के लिए आवश्यक है ईश्वरीय संदेश का अनुपालन। ईश्वर ने पुरुषों और महिलाओं को एक उद्देश्य के लिए बनाया और उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दोनों को दोस्त बताया है।

अंत में...

महिला शोषण और प्रताड़ना की बढ़ती घटनाएं केवल राजनीति, क़ानून और विरोध-प्रदर्शन से नहीं रुकेंगी। व्यक्ति और समाज का जब तक व्यापक स्तर पर सुधार नहीं होगा, ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। छोटे-मोटे सुधार के लिए कई उपाय बताए जा सकते हैं, मगर दीर्घकालिक सुधार के लिए आवश्यक है ईश्वरीय संदेश का अनुपालन। ईश्वर ने पुरुषों और महिलाओं को एक उद्देश्य के लिए बनाया और उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दोनों को दोस्त बताया है। क़ुरआन ने उस उद्देश्य को प्रकट किया- "आज्ञाकारी मर्द और आज्ञाकारी औरतें परस्पर एक-दूसरे के मित्र हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं...।

(सुरः तौबा,आयत-71)



ऐ नबी, विश्वास रखो कि
जिसने यह क़ुरआन तुम पर अनिवार्य किया है वह
तुम्हें एक उत्तम परिणाम को पहुंचाने वाला है। इन
लोगों से कह दो कि "मेरा रब ख़ूब जानता है कि
मार्गदर्शन लेकर कौन आया है और स्पष्ट
पथभ्रष्टता में कौन ग्रस्त है।"

(क़ुरआन, 28:85)



with best compliment from

Star Furnishing [Goa]

बुद्धिमत्ता की मांग

चिंतन



डॉ० सैयद
शाहिद अली



"क़ुरआन" का यह दावा कि वह इन्सानों के लिए ईश्वर की तरफ़ से मार्गदर्शन है, इसके मानने वालों को ज़िम्मेदार बनाता है कि वे इस पर अमल करें और इसे सभी इन्सानों तक पहुंचाएं। इसी तरह न मानने वालों पर भी यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वे इसे एक बार समझ ज़रूर लें, मानना या न मानना यह उनकी आज़ादी का मामला है।

ज्ञान (नॉलेज) का मतलब होता है 'समझ' (Understanding)। समझ चार तरह की होती है: ईश्वर के बारे में, इन्सान के बारे में, दुनिया के बारे में और मरने के बाद के बारे में। इन्सान की समझ का सम्बन्ध बुद्धि से होता है। बुद्धि सम्पूर्ण नहीं होती। इन्सान की बुद्धि यह बता सकती है कि स्रष्टा होना चाहिए, मगर स्रष्टा सृष्टि से क्या चाहता है वह यह नहीं बता सकती। मरने के बाद जीवन होना चाहिए, मगर वह कैसा होगा? यह बुद्धि नहीं बता सकती। इन्सान को इबादत के रूप में स्रष्टा का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर वह कैसे करे, यह बुद्धि नहीं बता सकती। बुद्धि कहती है कि बुद्धि के देने वाले की तरफ़ से इन्सान को उसके मूल प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर इन्सान स्वयं तलाश नहीं कर सकता।

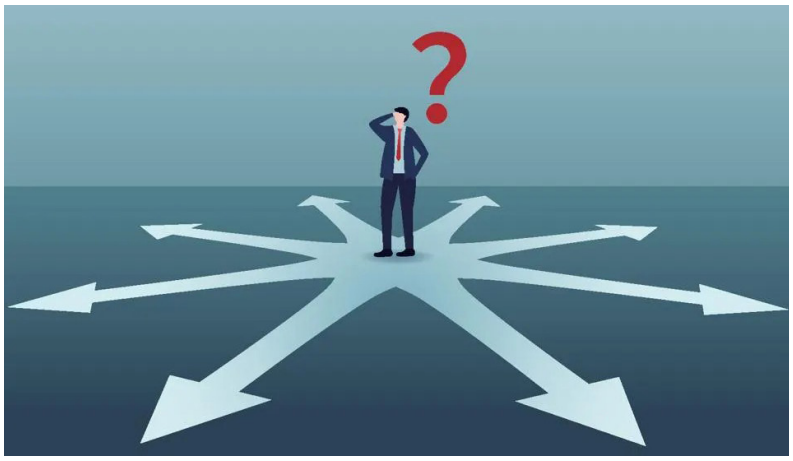
बुद्धि कहती है कि इन्सान को सही ज़िन्दगी गुज़ारने और नुक़सान से बचने के लिए इन सवालों के भी जवाब जानना ज़रूरी है : इन्सान का स्वयं से रिश्ता कैसा हो? इन्सान और इन्सान के बीच रिश्ता कैसा हो? इन्सान और समाज के बीच रिश्ता कैसा हो? मर्द और औरत के बीच रिश्ता कैसा हो? इन्सान और कायनात (ब्रह्मांड) के बीच रिश्ता कैसा हो? इन्सान का मुसीबत व ख़ुशहाली, दुख-सुख, सफलता व असफलता से रिश्ता कैसा हो? इन्सान का खाने से रिश्ता कैसा हो? इन्सान का सेक्स के साथ रिश्ता कैसा हो? इन्सान का दौलत और ग़रीबी के साथ रिश्ता कैसा हो? इन्सान के लिए वास्तव में क्या सही है और क्या ग़लत? इन्सान के लिए क्या फ़ायदेमन्द है और क्या नुक़सानदेह?

दुनिया के सारे ज्ञान (Knowledge) को दो हिस्सों में बांट सकते हैं: अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान (acquired-knowledge) और ख़ुदा की तरफ़ से दिया गया ज्ञान (Revealed-knowledge)।

पहली तरह का ज्ञान (Social Sciences, Humanities & languages, Sciences etc.) पंच-ज्ञानेन्द्रियों (Five-Senses) मदद से प्राप्त होता है। यह ज्ञान सिर्फ़ यह बता सकता है कि इन्सान और ब्रह्मांड (Man & Universe) क्या (What) है? और कैसे (How) है?

दूसरी तरह का ज्ञान (अर्थात् ईश्वर की तरफ़ से दिया गया ज्ञान) पंच-ज्ञानेन्द्रियों की मदद के बिना, सीधे तौर पर नबियों और पैग़म्बरों को मिलता है। यह ज्ञान बताता है कि इन्सान क्यों पैदा किया गया है?

आधुनिकता (Modernization) का सम्बन्ध, ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़े (Life-Style) से है। प्राचीनकाल में इन्सान पैदल चलता था, आज कार व हवाई जहाज़ से चलता है। आज से हज़ार साल पहले, गांव का एक सरपंच, पैदल चलकर पंचायत पहुंचता था, चबूतरे पर बैठता और फ़ैसला करता था। मगर आज सर्वोच्च न्यायालय का एक जज, कार से कोर्ट पहुंचता है, मेज-कुर्सी पर बैठकर कम्प्यूटर की मदद से फ़ैसला करता है। सरपंच और जज, दोनों के लिए अपने फ़ैसलों में इन्साफ़ करना बराबर महत्व रखता है। इन्साफ़ से फ़ैसला करने की जितनी ज़रूरत हज़ार साल पहले थी, आज भी उतनी ही है।



धर्म का संबंध, मूल्यों से है। जैसे इन्साफ़, सच्चाई, ईमानदारी, वफ़ादारी इत्यादि। अब चूंकि इन्साफ़ धर्म से सम्बन्धित मूल्य है इसलिए, धर्म भी हर काल में, इन्सान की ज़रूरत बना रहता है।

किसी धर्म को विशुद्ध और सही तरीक़े से समझने के लिए ज़रूरी है उसे उसके मानने वालों से अलग करके देखा जाए। क्योंकि धर्म के मानने वाले कभी अपने ही धर्म को सही समझते हैं और कभी नहीं, कभी उस पर पूरी तरह अमल करते हैं और कभी अधूरा। इसी तरह धर्म को उस धर्म की संस्था से अलग करके देखा जाए। क्योंकि कभी-कभी धार्मिक संस्था उस धर्म में अपनी तरफ़ से ऐसी बातें बढ़ा देती या कम कर देती हैं, जो उस धर्म में नहीं होतीं। इसी तरह धर्म को कल्चर से अलग करके देखा जाए, क्योंकि धर्म पर उस इलाक़े के कल्चर का प्रभाव ज़रूर पड़ता है और मानने वाले कल्चर को भी धर्म समझते हैं।

ज़्यादातर लोग किसी विशेष धर्म को समझने के लिए उस धर्म के मानने वालों के रवैये को देखते हैं, इसी लिए वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि धर्म को बदलें। जबकि किसी धर्म के अध्ययन का सही तरीक़ा यह है कि उसे उसके मुख्य स्रोतों से समझा जाए। तब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि धर्म के मानने वालों को बदलो, न कि धर्म को।

दुनिया में जो बहुत सारे धर्म (ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले) नज़र आते हैं। सभी धर्मों की बुनियाद अगर ईश्वर को मान लिया जाए तो इससे समाज में एकता की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है। एकता दो तरह की होती है: स्वाभाविक एकता और अस्वाभाविक एकता। अस्वाभाविक एकता यह है कि सब लोग एक जैसा सोचें, एक जैसा महसूस करें, एक जैसा बोलें और एक जैसा काम करें। यह असम्भव होता है। इसी लिए इस तरह की एकता पैदा करने के सभी प्रयत्न कभी भी सफल नहीं हो सके हैं। एक दूसरी एकता होती है जो स्वाभाविक एकता कहलाती है, इसमें मतभेद को सहन करके एक रहा जाता है, यही सरल व सम्भव तरीक़ा होता है। मगर यहां याद रखना चाहिए कि मतभेद को सहन करना और मतभेद की इज़्ज़त करना अच्छी बात है, मगर मतभेद का अनुगमन (Follow) करना सही नहीं। यह धोखा देना या धोखा खाना जैसी बात है।

अधिकतर लोग समझते हैं : सभी धर्म सही हैं। सभी धर्म एक हैं। हक़ीक़त यह है कि सारे धर्म एक नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग हैं। हां! सभी (आसमानी) धर्मों का स्रोत (Source) एक परमेश्वर(God) है। इसी लिए सभी धर्मों में मिलती-जुलती बातें नज़र आती हैं। सभी कहते हैं : झूठ मत बोलो, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से मुहब्बत करो, ईमानदार रहो, न्याय करो, अमन व शान्ति से रहो।

ईश्वर ने इन्सानों को, मरने से पहले

और मरने के बाद वाली ज़िन्दगी में कामयाब होने के लिए, एक ही धर्म दिया था। पहले पैग़म्बर (Messenger/Prophet) हज़रत आदम (अलैहि०) ने उसी धर्म की शिक्षा दी (ईश्वर एक है, दुनिया परीक्षा-स्थल है, मरने के बाद इस दुनिया में किए गए हर अच्छे या बुरे अमल का बदला मिलेगा)। उनके मरने के बाद लोगों ने उसको बदल दिया, तब ज़रूरत हुई कि दूसरा पैग़म्बर आए और उसी शिक्षा को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करे।

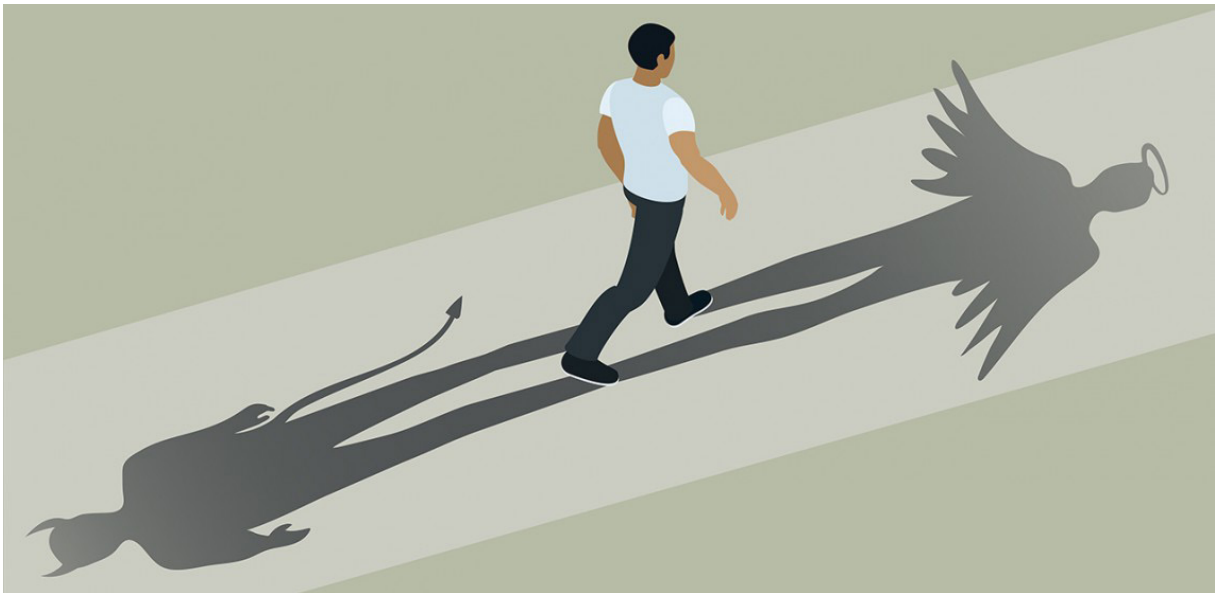
पुराने ज़माने में आने-जाने और बात करने के साधन (Means of Transportation & Communication) बहुत कम थे। इसलिए एक इलाक़े के लिए, एक पैग़म्बर आए और दूसरे इलाक़े के लिए दूसरे पैग़म्बर। यह सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि अन्तिम ईशदूत (Final Messenger) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) आए और उन्होंने भी उसी धर्म की शिक्षा दी, जो उनसे पहले के सभी पैग़म्बर दे चुके थे।

इस्लाम को समझने के दो रास्ते हैं। एक, मुसलमानों के ज़रिये, अर्थात् यह देखा जाए कि इस्लाम के मानने वाले क्या कर रहे हैं और फिर उसी को इस्लाम समझा जाए। दूसरे, इस्लाम के बुनियादी स्रोत 'क़ुरआन' (और उसकी व्याख्या के ग्रन्थ हदीस) के द्वारा। आज, जब हम पहले चैनल से इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, तब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस्लाम को बदलो, मगर जब हम दूसरे चैनल से इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुसलमानों को बदलो। आजकल ज़्यादातर लोग पहले तरीक़े से इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि सही दूसरा तरीक़ा है, अर्थात् क़ुरआन के ज़रिये इस्लाम को समझना और इन्सान को बदलना।

हमें याद रखना चाहिए कि धर्म इन्सान के लिए उसके बनाने वाले का मार्गदर्शन है। स्रष्टा ने इन्सान को आज़ादी दी है, चाहे तो धर्म को पूरा माने या अधूरा माने या बिल्कुल न माने। इसलिए जानना चाहिए कि धर्म और उसके मानने वाले दो अलग-अलग चीज़ें हैं। इस्लाम एक अमल पर आधारित धर्म (Practice-based religion) है न कि नाम पर। कोई व्यक्ति केवल मुस्लिम नाम रखने से मुस्लिम नहीं बन जाता।

क़ुरआन बहुत ही मज़बूती के साथ यह दावा करता है कि इस्लाम इन्सानों के लिए एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। क़ुरआन कहता है-

''जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई और दीन (धर्म) तलब करेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार न किया जाएगा और आख़िरत (मरने के बाद की ज़िन्दगी) में वह घाटा उठाने वालों में से होगा।'' (क़ुरआन, 3:85)



''क़ुरआन'' का यह दावा कि वह इन्सानों के लिए ईश्वर की तरफ़ से मार्गदर्शन है और इसके अतिरिक्त वह कुछ स्वीकार नहीं करेगा, इसके मानने वालों (मुसलमानों) को ज़िम्मेदार बनाता है कि वे इस पर अमल करें और इसे सभी इन्सानों तक पहुंचाएं। इसी तरह न मानने वालों पर भी यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वे इसे एक बार समझ ज़रूर लें, मानना या न मानना यह उनकी आज़ादी का मामला है।

■■



"जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे संरक्षक बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश! ये लोग ज्ञान रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज़ को भी पुकारते हैं अल्लाह उसे ख़ूब जानता है और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।"

(क़ुरआन, 29:41.42)



with best compliment from

Suleman Usman Beckery (Mumbai)

क्षमा मन की मलिनता को धोने का माध्यम



सौंदर्य बोध



तबाना नूरी

इंसान से कभी न कभी ग़लती हो ही जाती है, लेकिन ग़लती को समय रहते सुधार लेना ही समझदारी होती है। विद्वानों ने इसका बड़ा ही सहज और सुन्दर उपाय सुझाया है-क्षमा मांग लेना या क्षमा कर देना। ये दोनों ही वृत्तियां हमारा मन हल्का करने वाली उदार वृत्तियां हैं। वैर-भाव को मिटाकर शान्ति प्रदान करने वाली हैं।

'क्षमा'- यह केवल एक सोच, एक विचार ही नहीं, अपितु यह एक अभ्यास जनित प्रक्रिया है। जीवन के हर मोड़ पर, हर सम्बन्ध में क्षमा का महत्त्व है। यदि माता-पिता अपने बेटे-बेटियों की ग़लतियों को क्षमा कर प्यार से समझा बुझाकर उनका मार्गदर्शन करेंगे तो वह उनकी क्षमा का अनुचित लाभ कदापि नहीं उठाएगा। ऐसा बालक अवश्य ही बड़ा होकर दूसरों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करेगा। अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। अतः दंड देने से पहले दस बार सोचना चाहिए और क्षमा करने में देर नहीं करनी चाहिए।

इसी तरह वैवाहिक जीवन में भी जो क्षमा करता है, वही उदार और बड़े दिल वाला बनता है। जीवन में अनेक बार हमारे अहं को चोट लगती है तो क्रोध उपजना स्वाभाविक हो जाता है। अब यदि प्यार से क्षमा मांग ली जाए तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। वरना टकराव, बिखराव में बदल सकता है। क्षमा दाम्पत्य जीवन में सबसे अधिक काम आती है।

दाम्पत्य जीवन की बात करें तो समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। कुछ समय पहले पति-पत्नी के कार्य क्षेत्र विभाजित होते थे। पति का निर्णय पत्नी के लिए आदेश होता था। अनेक बार तो न की गयी त्रुटियों पर भी पत्नी क्षमा मांग लेती थी। और पति भी अपने अहं की तुष्टि पाकर क्षमाशील बन जाता था। मगर आज! आज कामकाजी पत्नियां हर क्षेत्र में पति के समकक्ष खड़ी हैं। वहां क्षमा मांगने में कोई भी पहल नहीं करना चाहता। नतीजा टूटते परिवारों के रूप में आज हमारे सामने है। क्षमा करके अपना बड़प्पन तो तब प्रगट होगा जब क्षमा मांग कर कोई झुक रहा हो। यहां एक बात कहना अप्रासंगिक न होगा कि दाम्पत्य जीवन में दूसरे के गुण देखना, उनकी प्रशंसा करना और साथ ही अपनी भी कमियों का एहसास करना अति आवश्यक होता है। तभी हमारे जीवन में क्षमा का अवतरण होता है।

इसी प्रकार मित्रों के बीच यह भावना ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि हम से कोई मित्र नाराज़ हो जाता है। कुछ समय तक तो हम परवाह ही

"किन्तु जिसने धैर्य से काम लिया और क्षमा कर दिया तो निश्चय ही वह उन कामों में से है जो (सफलता के लिए) आवश्यक ठहरा दिए गए हैं।"

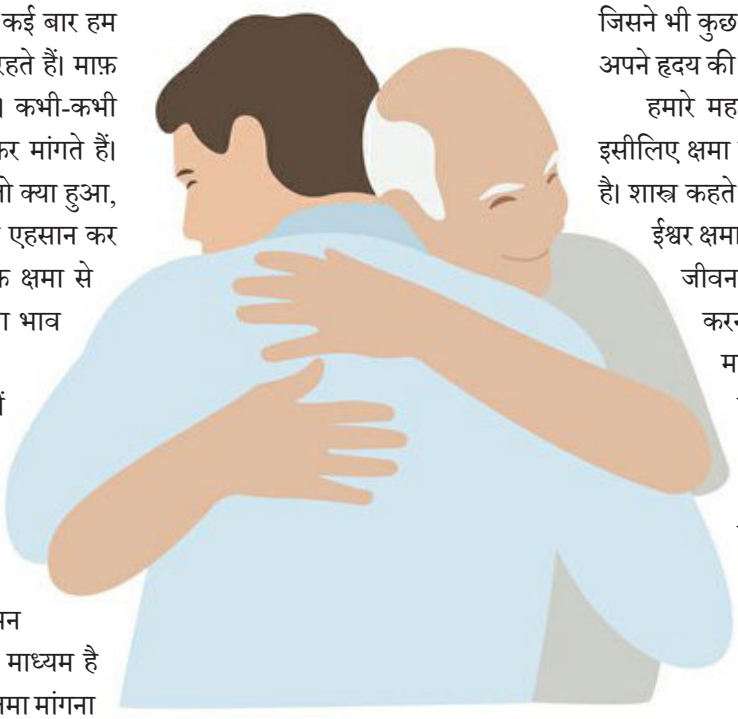
(क़ुरआन, 42:45)

“तुममें जो बड़ाई वाला और सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घरबार छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।”
(क़ुरआन, 24:22)

नहीं करते। फिर अन्य मित्र बीच में पड़ कर समझौता करवाने का प्रयास करते हैं और क्षमा मांग लेने की प्रेरणा देते हैं। बाध्य करते हैं। तब हम अपनी शर्तों पर ही क्षमा मांगने को तैयार होते हैं। यह क्षमा का औपचारिक रूप है, जिसमें हम ग़लती पर ग़लती किए जाते हैं और दिखावे के लिए क्षमा मांग लेते हैं। सुधरने का नाम नहीं लेते। कई बार हम क्षमा मांग कर भी अकड़े रहते हैं। माफ़ करके भी माफ़ नहीं करते। कभी-कभी तो हम क्षमा भी अकड़ कर मांगते हैं। कह देते हैं कि ग़लती की तो क्या हुआ, क्षमा भी तो मांग ली। जैसे एहसान कर दिया हो। ऐसी औपचारिक क्षमा से क्या लाभ जब मन में क्षमा भाव आता ही न हो।

हम यह क्यों नहीं समझ पाते कि क्षमा मांग कर या देकर हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। वरन अपने ही मन की शान्ति का उपाय करते हैं। मन की मलिनता को धोने का माध्यम है क्षमा। क्षमा करना ही नहीं क्षमा मांगना भी विशेष गुण है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं मांग सकता, माफ़ी द्वारा प्रायश्चित नहीं कर सकता वह कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता। जब ये एहसास हृदय में उतरे, तभी परमात्मा अपनी कृपाएं करता और आगे का भविष्य उज्ज्वल होता है। क्षमा वह माध्यम है जो हमें ईश्वर के निकट लाता है।

कहा जाता है कि क्षमा कमज़ोरों की ताक़त और शक्तिशालियों का आभूषण है। सारा संसार क्षमा से वश में किया जा सकता है। इससे सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जो व्यक्ति क्षमाशील बन जाए, उसकी महानता की तो बात ही क्या। किसी के प्रति कटुता रखकर हम अपना ही मन मैला करते हैं



और मन की शांति से हाथ धो बैठते हैं। मन से क्षमा करके हम स्वयं को ही सुखी बनाते हैं। क्षमा का शस्त्र जिसके पास है, उसका दुष्ट मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिना तिनकों वाली पृथ्वी पर गिरकर अग्नि ख़ुद ही शांत हो जाती है।

क्षमाशील व्यक्ति कटु स्मृति की मलिन छाया से मुक्त होते हैं। क्षमा वह उच्च भाव है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं होती। मनोविज्ञानी कहते हैं कि पुरानी बातों ने व्यक्ति के मन में अपना घर बना रखा है, जो उसे बार-बार कचोटती और परेशान करती रहती हैं, जबकि उन्हें भूलने पर ही हम आगे प्रगति कर पाते है और भूल तभी पाएंगे जब हमारे प्रति जिसने भी कुछ ग़लत किया है, उसे हम अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा कर दें।

हमारे महापुरुषों और पैग़म्बरों ने इसीलिए क्षमा को सर्वोच्च स्थान दिया है। शास्त्र कहते हैं जब हमारा पालनहार ईश्वर क्षमावान है, तो हमें भी अपने जीवन में क्षमा का विकास करना चाहिए। क्षमाशीलता महापुरुषों का सर्वोच्च गुण है। व्यक्ति जो वास्तव में क्षमावान है, वह अग्नि के समान तेजस्वी, जल के समान निर्मल होता है। क्षमा की प्रकृतिगत प्रवृत्ति है, सम्पूर्ण प्रकृति में क्षमाशीलता भरी है।

क्षमा में बदले की भावना नहीं, शांति है। इसलिए कहा गया है कि क्षमा कोई कायरों का काम नहीं है। वीरता की सही पहचान यही है कि हिम्मत व दंड देने का अधिकार होते हुए भी व्यक्ति सामने वाले को क्षमा कर दे। ■■

(लेखिका ऑस्ट्रेलिया में रह रही अप्रवासी भारतीय हैं)



खेल की सत्ता और महिला शोषण का घृणित खेल

मुख्य स्तम्भ

सुफ़ियान अहमद

महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण को लेकर गत दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर जैसा विरोध प्रदर्शन देखा गया, उससे यही ज़ाहिर हुआ कि खेल के मैदान में भी किस प्रकार महिला सुरक्षा से संबंधित समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। कई बार हालात की जटिलता की वजह से कुछ महिलाएं अपने शोषण के ख़िलाफ़ बोल भी नहीं पातीं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि महिलाओं का घर की दहलीज़ से बाहर निकल कर पढ़ना-लिखना और उससे आगे खेलों की दुनिया में अपनी जगह बनाना आज भी किस तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है।

इस मामले में सच क्या है? और झूठ क्या? इसका फ़ैसला तो निष्पक्ष ढंग से पूरी पड़ताल के बाद ही होगा, लेकिन इस मामले के बहाने खेलों की दुनिया, कोच, फेडरेशन और उनके भीतर की सियासत व गंदगी पर बात ज़रूर की जानी चाहिए। आख़िर इस मामले में एक हज़ार पहलवानों ने यौन शोषण, अभद्रता के आरोपों के साथ दूसरी शिकायतें की हैं। जिन पर आरोप है उन्हें उत्तर प्रदेश का बाहुबली कहा जाता है, सत्तापक्ष से जुड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके ऊपर दूसरे गंभीर मुक़दमों की भी लंबी सूची है। खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें बचाने के लिए गंभीर आरोपों की अनदेखी हुई है।

अब सवाल यह है कि यौन शोषण के ये आरोप सिर्फ़ पहलवानी तक ही हैं या फिर बाक़ी खेलों में आवाज़ उठाने वालों को स्थानीय स्तर पर ही दबा दिया जाता है? यह सही है कि खेलों की दुनिया में सभी लोग ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले नहीं होते। ऐसे प्रशिक्षकों की लंबी सूची है, जिनके निर्देशन और सहयोग के बूते बहुत सारी महिला खिलाड़ियों ने दुनिया



भर में अपनी क़ाबिलियत साबित की है। मगर इसी बीच कुछ प्रशिक्षकों की आपराधिक हरकतों की वजह से किसी महिला खिलाड़ी के टूट जाने की ख़बरें भी आती हैं।

हाल में ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों के अलावा हरियाणा में ख़ुद खेलमंत्री के एक महिला प्रशिक्षक से अवांछित बर्ताव की ख़बरें आईं। उत्तर प्रदेश के खेल फेडरेशन से जुड़े एक पदाधिकारी के आपत्तिजनक वीडियो और फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अभी हाल में दिल्ली में एक कबड्डी खिलाड़ी ने अपने प्रशिक्षक पर बलात्कार और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पुलिस के पास दर्ज मामले के मुताबिक़ एक महिला खिलाड़ी का कहना है कि उसका प्रशिक्षक न सिर्फ़ सात साल से बलात्कार कर रहा है, बल्कि उसने धमकी देकर उससे काफ़ी धन भी ऐंठ लिए। ग़ौरतलब है कि पीड़ित महिला एशियाई खेलों में देश के लिए रजत पदक जीतने वाली कबड्डी टीम की खिलाड़ी रही है।

ऐसी ख़बरें बताती हैं कि खेलों के शासकीय तंत्र में व्यापक सुधार की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर कोई व्यक्ति महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण जैसे ज़िम्मेदारी से भरे काम में लगाया जाता है तो क्षमताओं के साथ-साथ उसकी मानसिकता, प्रवृत्ति और कुंठाओं आदि की जांच-परख भी होनी चाहिए। महिला खिलाड़ियों के किसी भी तरह के शोषण की आशंका तक की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वरना बहुस्तरीय बाधाओं को पार कर किसी खेल के मैदान में आई और इसमें ऊंची उड़ान का सपना देखने वाली लड़कियों का रास्ता मुश्किल बना रहेगा।

कैसी विडंबना है, जब भी देश का नाम रोशन करने वाले ये खिलाड़ी कोई पदक जीत कर देश लौटते हैं तो देश का शीर्ष नेतृत्व इन्हें पलकों पर बिठा कर इनका ज़ोरदार स्वागत करता है। इन्हें सरकारी पदों पर नौकरी भी दी जाती है। इनके सम्मान में होने वाले स्वागत समारोह की तस्वीरों को मीडिया में ख़ूब फैलाया जाता है, परंतु जैसे ही इनके आत्म-सम्मान की बात उठती है तो सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों



न हो, इनसे मुंह फेर लेती है और इन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है।

ग़ौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी बहुत छोटी उम्र से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत नहीं होती। फिर भी वे परिवार पेट काट कर इन बच्चों को अच्छी ख़ुराक, घी, दूध, बादाम आदि खिलाकर और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रशिक्षण दिलवा कर प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी इन खिलाड़ियों को अक्सर चयनकर्ताओं के पक्षपातपूर्ण रवैये और अनैतिक आचरण का सामना करना पड़ता है। ऐसी तमाम बाधाओं को झेलते हुए भी भारत की ये बेटियां हिम्मत नहीं हारतीं और पूरी लगन से लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती हैं।

महिला खिलाड़ियों की परेशानियों का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के बाद भी इन्हें अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। जब अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो बाक़ी हज़ारों खिलाड़ियों के साथ क्या होता होगा? यह सोच कर भी रूह कांप जाती है।

जब कभी ऐसे विवाद सामने आते हैं तो सारे देश की सहानुभूति खिलाड़ियों के साथ होती है। हो भी क्यों

महिला खिलाड़ियों की परेशानियों का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के बाद भी इन्हें अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। जब अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो बाकी हज़ारों खिलाड़ियों के साथ क्या होता होगा? यह सोच कर भी रूह कांप जाती है।

न? ये खिलाड़ी ही तो अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का परचम लहराते हैं और हर भारतीय का मस्तक ऊंचा करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में शिकायत सामने आने पर संवेदनशील तरीक़े से कार्रवाई करने के बजाय पुलिस और खेल प्रशासन की ओर से जो ढीला-ढाला रवैया अपनाया गया, उससे उपजे गंभीर सवाल अभी भी बरक़रार हैं। कुश्ती की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड लाकर देश का नाम ऊंचा करने वाली महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, यही अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि पुलिस प्रशासन और देश के पूरे खेल ढांचे को अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए था।

कोच हो, उस्ताद हो, गुरु हो या फिर सरकारी खेल फेडरेशन के पदाधिकारी। खेलों को चलाने और खिलाड़ियों को सही मायने में खिलाड़ी बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। ज़्यादातर ऐसे कोच और गुरु हैं, जिनका नाम लेते और उन्हें श्रेय देने में उनके चैंपियन शिष्यों की ज़ुबा नहीं थमती, लेकिन खेल के मैदान के काले सच पर्दे के पीछे ही ढके रहते हैं। इनकी पड़ताल ज़रूरी है। ऐसे में अभिभावकों, खिलाड़ियों, सरकारों, कोच और फेडरेशन सबको आत्ममंथन की ज़रूरत है। यदि खेल एवं गुरु शिष्य के भाव में प्रोफेशनलिज़्म की जगह घिनौनी वासनाओं और सियासत का अनुचित दख़ल होगा तो फिर खेलों का भविष्य यक़ीनन अंधकार में होगा।

यदि खेल एवं गुरु शिष्य के भाव में प्रोफेशनलिज़्म की जगह घिनौनी वासनाओं और सियासत का अनुचित दख़ल होगा तो फिर खेलों का भविष्य यक़ीनन अंधकार में होगा।ऐसे गंभीर मामलों की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच एक संवेदनशील और न्यायप्रिय समाज की अनिवार्य विशेषता है। यौन शोषण जैसे मामलों में महिलाओं को न्याय पाने के लिए बार-बार सड़कों पर उतरना पड़े, सरकार और प्रशासन के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा?



ऐसे गंभीर मामलों की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच एक संवेदनशील और न्यायप्रिय समाज की अनिवार्य विशेषता है। यौन शोषण जैसे मामलों में महिलाओं को न्याय पाने के लिए बार-बार सड़कों पर उतरना पड़े, सरकार और प्रशासन के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? ■■



महिला अपराध और हमारी जांच प्रणाली

अभिमत



रजनीश कपूर
(वरिष्ठ पत्रकार)



वर्ष 2012 के छावला बलात्कार और हत्या मामले के सभी आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष रिहा कर दिया गया। हैरानी की बात है कि इस जघन्य अपराध में कोई दोषी नहीं पाया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में जो कहा, उससे यही पता चलता है कि पुलिस की जांच और निचली अदालत की सुनवाई में कई जगह कमियां थीं। ज़ाहिर-सी बात है कि इस फ़ैसले से न सिर्फ़ पीड़िता का परिवार बल्कि पूरा देश हैरान हुआ। रेप और हत्या की जांच कर रही पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अगर बलात्कार और हत्या हुई है तो कोई न कोई दोषी तो होगा ही? अगर इन तीन आरोपियों को सुबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया है तो असली अपराधी कौन है? वो आज भी क्यों घूम रहा है? यदि ये तीनों बेक़सूर थे तो इतने सालों तक सलाख़ों के पीछे किस आधार पर थे? यदि पुलिस की प्राथमिक जांच सही नहीं थी तो निचली अदालत ने इन तीन आरोपियों को किस

आधार पर फांसी की सज़ा सुनाई? निचली अदालत ने पुलिस जांच में हुई ग़लतियों को नज़रअन्दाज़ क्यों किया? निचली अदालत के फ़ैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर क्यों लगाई?

दस साल पहले हुए इस अपराध के जांच अधिकारियों को इस चर्चित मामले में 'मुस्तैदी' से जांच के आधार पर किसी न किसी तरह का इनाम ज़रूर मिला होगा। उन सभी अधिकारियों में से कुछ सेवानिवृत भी हो चुके होंगे। ऐसे में उनके ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही की जाएगी? अभियोजन पक्ष की ओर से अदालतों में पेश हुए वकीलों के प्रति सरकार का क्या रवैया रहेगा? क्या उन 'अनुभवी' वकीलों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्यवाही की जाएगी? ये सभी सवाल हमारी मौजूदा जांच व्यवस्था को शक के दायरे में लाते हैं।

मामला दस साल पुराने छावला रेप और हत्या का हो। बिलकिस बानो का हो। प्रियदर्शनी मट्टू का हो। दहेज उत्पीड़न के कारण बेटियों की रहस्यमयी मृत्यु का हो। महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए इन अपराधों में पुलिस की प्राथमिक जांच अपराध की जड़ तक पहुंचने की अहम कड़ी होती है। प्राथमिक जांच ही अपराधी को उसके सही अंजाम तक पहुंचा सकती है। ज़रा-सी कोताही केस को ग़लत दिशा में मोड़ सकती है। ये बात केवल महिला अपराधों पर लागू नहीं होती। परंतु प्रायः ऐसा देखा गया है कि पुलिस अधिकारी किन्हीं कारणों से जब संगीन अपराधों की जांच को पूरी क्षमता से नहीं कर पाते तो उन्हें अदालत की लताड़ झेलनी पड़ती है। जांच में कोताही के कारण ही असल अपराधी छूट जाते हैं।

वर्ष 2018 में थॉमसन-रॉयटर्स फ़ाउंडेशन द्वारा एक सर्वे के मुताबिक़, भारत महिला अपराधों के मामले में सबसे पहले स्थान पर आता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2007 और 2016 के बीच महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा व अपराधों के मामलों में 83 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के लिये बहुत कड़ी सज़ाएं हैं। मुस्लिम देशों में हाथ काटने से लेकर सिर क़लम करने की सज़ा के प्रावधान भी हैं। भारत के मुक़ाबले और देशों में महिला अपराध पर बहुत जल्द और कड़ी कार्यवाही होती है। हमारे देश के क़ानून कब और कितने सख़्त होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु ऐसे सर्वे में अगर देवियों को पूजने वाला भारत अव्वल नंबर पर आता है तो यह हमारे लिए शर्म की बात है।

महिला सुरक्षा और विकास को लेकर सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे लुभावने नारे तो ज़रूर दिये जाते हैं, परंतु ये कितने व्यावहारिक साबित होते हैं इसका पता तब चलता है जब मामले में पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं मिलता। दिल्ली के निर्भया कांड में जिस तरह देश भर में तूफ़ान मचा और फिर कड़े क़ानून बने उससे समाज में कुछ उम्मीद जागी थी। परंतु जिस तरह बिल्किस बानो या छावला रेप के आरोपियों को जांच की कमियों के चलते छोड़ दिया गया उससे ऐसे नारों पर भी संदेह होता है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो नारे केवल चुनाव के दौरान वोट बटोरने के लिए ही होते हैं। नारों को अमल में लाने के लिए सरकारी तंत्र को सही दिशा में चलना होगा और कड़े क़दम भी उठाने होंगे। ■■



मामला दस साल पुराने छावला रेप और हत्या का हो। बिलकिस बानो का हो। प्रियदर्शनी मट्टू का हो। दहेज उत्पीड़न के कारण बेटियों की रहस्यमयिक मृत्यु का हो। महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए इन अपराधों में पुलिस की प्राथमिक जांच अपराध की जड़ तक पहुंचने की अहम कड़ी होती है। प्राथमिक जांच ही अपराधी को उसके सही अंजाम तक पहुंचा सकती है।

महिला सशक्तीकरण के ग़लत प्रतिमान और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत



समाधान



संपादन प्रभाग

''अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले पुरुष और रक्षा करने वाली स्त्रियां और ईश्वर को अधिक याद करने वाले पुरुष और याद करने वाली स्त्रियां- इनके लिए ईश्वर ने क्षमा और बड़ा प्रतिदान तैयार कर रखा है।''
(क़ुरआन, 33:35)

महिला सशक्तीकरण एवं प्रगति के संबंध में सैद्धांतिक रूप से चाहे जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से तो उनकी स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा और अपराधों के आकड़ों को देखते हुए साफ़ तौर पर यह कहा जा सकता है कि महिला अधिकार, सुरक्षा और न्याय का प्रश्न अभी भी मुंह बाए खड़ा है। यह सही है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। शिक्षित होने के बाद उन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचाना, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि घरों से लेकर कार्यालयों तक उनका शोषण किया जा रहा है। कई अध्ययन महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध में भारत को शीर्ष स्थान पर रखते हैं।

महिलाओं की आज़ादी सामाजिक समानता और सामाजिक बराबरी के संबंध में अक्सर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की बात कही जाती है। कहा जाता है कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा अपनी मेहनत, हिम्मत, हौसले और बहादुरी से मनवा लिया है। वर्तमान समय में दुनियाभर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करा दी हो। यहां तक कि वे शासन और प्रशासन के शीर्ष पदों पर भी विराजमान हैं।

यह सिक्के का एक पहलू है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हम महिला स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी की बात करते हैं तो कार्य, व्यवसाय और बड़े-बड़े पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन सवाल उठता है कि क्या महिला सशक्तीकरण इसी का नाम है? क्या समाज में उनके व्यवसाय या नौकरियों में उनकी भर्ती को देखकर हम

इसे उनकी उन्नति का पैमाना समझें?

वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता, समानता और प्रगति की यह ग़लत अवधारणा समाज को किस प्रकार असंतुलित कर रही है, इसका अनुमान लगाया जाना आवश्यक है। टूटते घर, बिखरते परिवार, समाज में रिश्तों का कम होता महत्व और महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भविष्य में कैसे समाज की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए।

हैं। महिलाओं को अपमानित करने और उनका शील भंग करने वाले असमाजिक तत्व क़ानून की गिरफ़्त से दूर नज़र आते हैं। तथाकथित महिला सशक्तीकरण के खोखले नारे लगाले वाले महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को आख़िर किस नज़र से देखते हैं? इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

दरअस्ल, महिलाओं को लेकर स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आज जो परिभाषा गढ़ी जा रही है उस पर पश्चिम का प्रभाव है। स्वतंत्रता और

नहीं है। महिलाओं से जुड़ी विभिन्न रिपोर्टें बताती हैं कि महिलाओं का मान सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है।

सवाल यह है कि महिलाओं के मान सम्मान और सशक्तीकरण के संबंध में हम कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं? परिस्थितियां जो सवाल खड़े कर रही हैं, उसका हमारे पास क्या जवाब है? दुनियाभर में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, अत्याचार और शोषण के बढ़ते हुए रुझानों की रोकथाम के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं?

समानता के साथ-साथ न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और नियमों को भी समझने की आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर और जगत स्रष्टा ने इन्सान होने की हैसियत से पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान दर्जा दिया है, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों की प्रवृत्तियों में प्राकृतिक रूप से भेद है। केवल सतही मामलों पर हंगामे और महिलाओं को उनकी प्रकृति के विपरीत धारा की ओर धकेलने से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा इसे सही मान लेना महिलाओं के साथ अन्याय होगा।



महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में आज हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो चुका है कि अपराधियों को दंड देना तो दूर, महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले बहुत से कृत्यों को अपराध की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों में लगातार बृद्धि दर्ज हो रही है। साइबर अपराधों के मामले भी आए दिन कभी सुल्ली डील तो कभी बुल्ली बाई के रूप में सामने आते रहते

समानता का झांसा देकर महिलाओं को बाहर निकाला गया और इसे महिला सशक्तीकरण का नाम देकर हर जगह उनके शोषण के सारे रास्ते खोल दिए गए, जहां उनका आर्थिक शोषण के साथ-साथ शारीरिक शोषण भी देखने को मिलता है।

आज महिलाएं कहीं भी अपने मान-सम्मान, पवित्रता और गरिमा की गारंटी के साथ नहीं रह पा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा कहीं भी सुनिश्चित

बेलगाम पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव तथा बाज़ारवाद ने नारी देह और उसकी सुंदरता के प्रदर्शन को विज्ञापन, बाज़ार और प्रचार का प्रमुख साधन बना दिया है। समाज में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि आज नारी की दैहिक सुंदरता और उसके प्रतिमान लड़कियों और महिलाओं के आदर्श बनते जा रहे हैं।

दरअस्ल, महिला सशक्तीकरण के नाम पर गढ़े जा रहे ग़लत प्रतिमानों द्वारा ऐसा माहौल बनया गया, जिसमें

महिलाओं को उनका सही स्थान और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज स्थिति यह है तथाकथित, प्रबुद्ध और सभ्य कहे जाने वाले समाजों में ही महिलाओं को अधिक शोषण और अत्याचार का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अधिकतर विकसित और स्वतंत्र सोच वाले देश इस सूची में सबसे आगे नज़र आते हैं।



संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों पर यदि ग़ौर करें तो इस सूची में पहला नाम अमेरिका का आता है। इसी क्रम में यदि शीर्ष दस देशों की बात करें तो सभ्य और प्रबुद्ध कहे जान वाले देशों में क्रमशः दक्षिण अफ़्रीका, स्वीडन, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और अंत में श्रीलंका व इथियोपिया जैसे देशों के नाम आते हैं। हैरानी की बात यह है कि परेशान कर देने वाली ऐसी रिपोर्टों के बावजूद इनमें से अधिकांश ख़ुद को विकसित, स्वतंत्र विचार और महिला मुक्ति का अग्रदूत देश मानते हैं। महिला सशक्तीकरण की सतही बातों में आकर महिलाओं ने क्या हासिल किया इस पर गहन चिंतन-मनन और मंथन करने की आवश्यकता है।

महिलाओं का असली सशक्तीकरण उनकी बुद्धि और कौशल से ही हो सकता है। महिला सशक्तीकरण की जब तक ग़लत परिभाषा गढ़ी जाती रहेगी तब तक महिलाओं के सशक्तीकरण की राह आसान होने वाली नहीं है।

वास्तविकता यह है कि ऐसी स्वतंत्रता और समानता जोकि अपने आप में प्राकृति के नियामों के विरुद्ध हो, हासिल करने से सिवाय नुक़सान के फ़ायदा कभी नहीं होता। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के गरिमापूर्ण अस्तित्व, समानता, सुरक्षा के साथ-साथ उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से जुड़े प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए। समानता के साथ-साथ न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और नियमों को भी समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतें भी अलग-अलग होती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर और जगत स्रष्टा ने इन्सान होने की हैसियत से पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान दर्जा दिया है। उनकी प्रतिस्पर्धा पुरुषों के साथ नहीं है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों की प्रवृत्तियों में प्राकृतिक रूप से भेद है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं प्रतिद्वंदी नहीं।

केवल सतही मामलों पर हंगामे और महिलाओं को उनकी प्रकृति के विपरीत धारा की ओर धकेलने से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा इसे सही मान लेना महिलाओं के साथ अन्याय होगा। आज दुनिया को यह समझने की ज़रूरत है कि सृष्टीकर्ता ने स्त्री एवं पुरुष के बीच जो विभेद किए हैं उनका आधार न्याया है और प्रकृति के इस न्याय को स्वीकार किया जाना चाहिए। ■■

कविता



सुशील कुमार शर्मा

जीवन की छाया हो

घर की मर्यादा हो,
प्रेमपूर्ण वादा हो।
प्रेम के सान्निध्य में,
ख़ुशी का इरादा हो।

माता का मान हो,
पिता का सम्मान हो।
पति की इज़्ज़त हो,
रिश्तों की शान हो।

जीवन की छाया हो,
मोहभरी माया हो।
हर पल जो साथ रहे,
प्रेमसिक्त साया हो।

सुरभित बनमाल हो,
जीवन की ताल हो।
मधु से सिंचित-सी,
कविता कमाल हो।

मन का अनुबंध हो,
प्रेम का प्रबंध हो।
जीवन को परिभाषित,
करता निबंध हो।

नारी तुम स्वतंत्र हो,
जीवन धन यंत्र हो।
काल के कपाल पर,
लिखा सुख मंत्र हो।



नफ़रत के ख़िलाफ़

सर्वोच्च चिंता

समसामयिक



डॉ. प्रदीप कुमार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीते माह जिन शब्दों के साथ हेट स्पीच के ख़िलाफ़ टिप्पणियां कीं और आदेश दिया वह उसकी जायज़ चिंता को दर्शाता है। अदालत की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि पानी नाक तक पहुंच चुका है। यह देश की सरकार, उसके विभिन्न अंगों एवं संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि यदि जल्द ही आग उगलती भाषा और बयानों पर रोक न लगाई गई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया। न्यायालय का कहना था–''जब भी कोई नफ़रत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफ़आईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को ज़िंदा रखा जा सकता है।''

सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था।

देश के अल्पसंख्यक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत किया है। ऐसे संगठनों के नेताओं का कहना है कि कुछ लोग देश को विभाजित करने, वोट बटोरने और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए जान-बूझकर नफ़रत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बहुत नुक़सान पहुंचा रहे हैं। नफ़रत फैलाने वाले भाषणों पर नकेल कसने में हमारी व्यवस्थागत नाकामियों के संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा दिया गया यह निर्णय बहुत महत्व रखता है। हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि अदालत के आदेश के अनुसार कार्य करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा और दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी देश और वहां की सरकार



के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि शीर्ष कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़े और इस आशय के निर्देश विशेष रूप से देने पड़ें, जिसके बारे में क़ानून की किताबों में पहले से ही पर्याप्त प्रावधान हैं और कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया है। सवाल यह है कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे? और उसके लिए दोषी कौन हैं? जनसामान्य में यह बात अब बड़ी स्पष्ट है कि देश की मौजूदा तस्वीर हाल में ही उकेरी गई हैं। हेट स्पीच को ख़ूब बढ़ावा दिया गया। साम्प्रदायिक व सामाजिक विखंडन की एक प्रभावी प्रणाली तैयार कर दी गई है, जिसका सूत्र संचालन मंत्री और बड़े-बड़े नेता तक करते नज़र आते हैं।

साम्प्रदायिक सौहार्द्र व सामाजिक समरसता की इच्छा रखने वाले आम नागरिक हों या क़ानून के राज में विश्वास रखने वाले लोग, निराशा तब होती है जब एक वर्ग विशेष के नरसंहार का आह्वान करने वाले या तो पकड़ में नहीं आते या जल्द ही ज़मानत पर बाहर निकल आते हैं।

ऐसा नहीं है कि हमारी न्याय-पालिका ने पहली बार इस मामले पर नाराज़गी जताई हो। इसी साल इसी बेंच ने इस प्रवृत्ति को 'गंदगी' बतलाते हुए चेतावनी दी थी कि यह 'राक्षस' का रूप धारण कर लेगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 'राज्य नपुंसक हैं। वे समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है? प्रदेश हेट स्पीच को रोकने की प्रणाली क्यों विकसित नहीं कर पा रहे हैं?

शीर्ष कोर्ट के ये शब्द उसकी नाराज़गी ही नहीं वरन उसकी चिंता और पीड़ा सब कुछ बयां करने के लिये काफ़ी हैं। यह देश के हर संवेदनशील व समझदार नागरिक की निराशा का प्रतिबिम्ब है जो पिछले कुछ समय से इस तरह के बयानों की बाढ़ को सतत ऊंचा होते देख रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में कहा था कि 'हर रोज़ टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफ़रत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? अदालत की यह भी राय है कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे। नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे। उसी दिन नफ़रत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। हम अपने फ़ैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है।'

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच के ख़िलाफ़ बोलने और आदेश देने में कोई कोर क़सर बाक़ी नहीं छोड़ी है। अब देखना यह है कि क्या हमारे राज्य और उनका पुलिस-प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की उक्त आदेश एवं टिप्पणियों को गम्भीरता से लेकर हेट स्पीच पर ठोस नियंत्रण लगा पाएगा। क्या राज्य ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करेंगे? यदि अदालत के निर्णय को 'अक्षरशः' लागू किया जाता है, तो देश हेट स्पीच के ख़तरे से मुक्ति पा सकता है। ■■

बारह महीने बाद भी...

सरोकार

जितेंद्र गौतम

पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या रहा है। भारत में सिंगल यूज (एक बार इस्तेमाल होने वाले) प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने के लगभग 12 महीने बाद भी देश के अधिकांश हिस्सों में उनका पहले की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता अभी भी पहले की तरह बदस्तूर ऐसे प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक न केवल सड़कों पर बिखरे रहते हैं बल्कि कचरा फेंकने की जगहों पर भी इन्हें बड़ी तादाद में देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकांश हिस्सों स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।



प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या के मूल में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के कमज़ोर प्रवर्तन को ज़िम्मेदार माना जा सकता है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अनुपयोगी प्लास्टिक उत्पादों के संग्रह और सुरक्षित निपटारे के क्षेत्र में भी कोई ख़ास सुधार देखने को नहीं मिला है।

केंद्र सरकार ने ऐसे प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जो सीमित उपयोग के थे, लेकिन जो बहुत अधिक कचरा करते थे। इसके प्रवर्तन का काम राज्यों और उनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में ढिलाई बरती।

कई अन्य राज्यों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के मानक केवल कागज़ पर हैं। यही वजह है कि अधिकांश निषिद्ध और जैविक रूप से अपघटित न होने वाला कचरा घरेलू कचरे में मिल जाता है और वर्षों तक वातावरण में बना रहता है। उसके जलने से ज़हरीला धुआं निकलता है। इसका बड़ा हिस्सा नदियों और समुद्र में मिल जाता है जो जलीय जैव विविधता को नुक़सान पहुंचाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(सीपीसीबी) ने हाल ही में कहा था कि अभी भी अर्थव्यवस्था के निचले दायरे में निपटान योग्य प्लास्टिक की सामग्री, ख़ासतौर पर पतले कैरी बैग का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। अगर प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग में कमी नहीं आ रही है तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यही है कि इनके उत्पादन, बिक्री और उपयोग को लेकर संबंधित विभागों का रवैया बेहद ग़ैर-ज़िम्मेदाराना और लापरवाही भरा रहा है।

अक्सर देखा जाता है कि हमारी छोटी-बड़ी लापरवाहियों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों की ख़ामियों की वजह से पालीथीन या अन्य प्लास्टिक कचरा नालियों में भरा रहता है, जो नालियों, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को ठप कर देता है। देखा जा रहा है कि यही कचरा अब नदियों के बहाव को अवरुद्ध करने में भी सहायक बनने लगा है, जो थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होते ही जगह-जगह बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चिंता की बात यह है कि प्रतिदिन निकलने वाले प्लास्टिक कचरे का लगभग आधा हिस्सा या तो नालों के ज़रिये जलाशयों में मिल जाता है या गैर-शोधित रूप में किसी भू-भाग पर पड़ा रहकर धरती और वायु को प्रदूषित करता है। यूं तो देशभर के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं, किंतु वे अपने कार्य के प्रति संजीदा नज़र नहीं आते।

इस संदर्भ में दुनियाभर में हो रहे प्रयासों की बात की जाए तो आयरलैंड में प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर 90 फ़ीसद टैक्स लगा दिया गया, जिसके चलते इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। आस्ट्रेलिया में सरकार की अपील से ही वहां इन थैलियों के इस्तेमाल में 90 फ़ीसद कमी आई। अफ्रीका के रवांडा में प्लास्टिक बैग बनाने, ख़रीदने और इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रविधान है। फ्रांस ने 2002 में प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का अभियान शुरू किया और 2010 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रिसाइकिल नहीं हो सकने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है। चीन, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड,

"ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आपको और अपने अहलो अयाल को दोजख़ की आग से।" (कुरआन)
अल्लाह के रसूल ने फरमाया : "मॉ–बाप का बेहतरीन तोहफा अपने बच्चों की सही तालीम व तर्बीयत है।" (हदीस)

अल्लाह की बंदगी और अपने अहलो अयाल(परिवार) व बंदों के हक़ के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने(समझने) के लिए कुरआन व हदीस, सीरत (नबी सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी), इस्लामी तारीख़(इतिहास) व हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी–इल्मी, फ़िक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला (अध्ययन) कीजिए।

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

कुरआन मजीद – अरबी, मय तर्जुमा, तफसीर, हदीस, सीरतुन्नबी, सीरते सहाबा व सहाबियात, तारीख़े इस्लाम, बच्चों के लिए तर्बीयती किताबें, दावती लिट्रेचर, उर्दू–हिन्दी डिक्शनरी, पारा पेटी, रहल जायनमाज़ वगैरह ...

आर्डर पर हासिल करें।

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	420/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH True Success Both Worlds

अल फलाह True Success Both Worlds

मेन रोड तलापार, राधावल्लभ वार्ड, करेली जिला–नरसिंहपुर(म.प्र.)

प्रो. अख़्तर नवाब
✆ 9926408118

इटली इत्यादि देशों ने प्लास्टिक कचरे के आयात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा आयातक देश रहा है, लेकिन उसने भी कुछ समय पहले 24 श्रेणियों के ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए चरणबद्ध तरीक़े से भारत में भी इसी प्रकार के सख़्त क़दम उठाए जाने की ज़रूरत है। हालांकि भारत को 'सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त' बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण क़दम उठाते हुए एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन फिलहाल तो भारत न केवल दुनिया के सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा आयात करने वाले देशों में शामिल है, बल्कि यहां प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्र में प्लास्टिक कचरा भी उत्पन्न होता है।

चिंता की बात यह है कि प्रतिदिन निकलने वाले प्लास्टिक कचरे का लगभग आधा हिस्सा या तो नालों के ज़रिये जलाशयों में मिल जाता है या गैर-शोधित रूप में किसी भू-भाग पर पड़ा रहकर धरती और वायु को प्रदूषित करता है। यूं तो देशभर के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं, किंतु वे अपने कार्य के प्रति संजीदा नज़र नहीं आते।

प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में नाकामी की एक अन्य प्रमुख वजह है, उनके सस्ते विकल्पों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाना। इस दिशा में शोध करने में ज़्यादा निवेश नहीं किया गया है। सरकार ने भी इस काम के लिए कोई वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन नहीं मुहैया कराया। ज़रूरत इस बात की है कि इस समस्या को समग्रता से निपटाने के लिए बहुमुखी रणनीति अपनाई जाए। ऐसे में उत्पादन से लेकर ऐसे प्लास्टिक की बरामदगी, पुनर्चक्रण और निस्तारण तक को ध्यान में रखना होगा। इस दिशा में छोटे-मोटे उपाय काम नहीं आएंगे।

प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह ज़रूरी है कि इससे संबंधित सभी प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ अदालती निर्देशों का सख़्ती से पालन भी सुनिश्चित करना होगा। हमें इस दिशा में और अधिक गंभीरता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रीकरण के बारे में गंभीरता से सोचना होगा और व्यक्तिगत रूप से भी अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा, तभी यह धरती साफ़ और सुरक्षित रह सकती है। ■■



प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह ज़रूरी है कि इससे संबंधित सभी प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ अदालती निर्देशों का सख़्ती से पालन भी सुनिश्चित करना होगा।



with best compliment from

Iqra Builders Jharkhand

"और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने घोषणा कर दी कि "वह क़ियामत के दिन तक लगातार ऐसे लोग इसराईलियों पर नियुक्त करता रहेगा जो इनको बहुत ही भारी अज़ाब देंगे।" यक़ीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में जल्दी करता है और यक़ीनन ही वह माफ़ी और दया से भी काम लेने वाला है।

(क़ुरआन, 7:167)

बहुपत्नीत्व और मुस्लिम समुदाय

मिथ्या बनाम तथ्य

दृष्टिकोण



प्रो. शेख़ मोईन
शेख़ नईम

विवाह हर समाज, समुदाय, धर्म इत्यादि की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन जीने के लिए विवाह की अनिवार्यता पर प्रत्येक समाज, धर्म, समुदाय और व्यवस्था में बल दिया गया है। इसी तरह इस्लाम में भी विवाह पर बल दिया गया है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने बताया है कि, विवाह (निकाह) आधा ईमान होता है। कोई भी मोमिन तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वह निकाह न कर ले। मुहम्मद (सल्ल.) के आगमन से पूर्व अरब में असीमित बहुपत्नीत्व की प्रथा हुआ करती थी। इस्लाम के अंतर्गत क्रमिक सुधार के रूप में बहुपत्नीत्व को 4 पत्नी तक सीमित कर दिया गया। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने अरब समाज की बहुत-सी कुरीतियों को दूर किया तथा स्त्री की सहमति को विवाह के लिए आवश्यक कर दिया।

विश्व में विवाह से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं प्राचीनकाल से ही प्रचलित रही हैं, जिनमें से एक संस्था बहुपत्नीत्व यानी एक से अधिक पत्नियां रखना है। दुनिया का कोई भी देश, धर्म, समाज, जाति, पंथ और संप्रदाय इसका अपवाद नहीं है। कुछ लोगों (चाहे मुस्लिम हों या ग़ैर-मुस्लिम) की यह ग़लत धारणा है कि बहुपत्नीत्व इस्लाम का एक अभिन्न अंग है या इस्लाम ने ही बहुपत्नीत्व की अवधारणा को दुनिया के सामने पेश किया हो। बहुपत्नीत्व न तो इस्लाम का हिस्सा है, न ही इस्लाम द्वारा शुरू की गई कोई संस्था और न ही बहुपत्नीत्व का इस्लाम की नज़र में अच्छे या बुरे मुसलमान होने से कोई लेना-देना है। एक से अधिक महिला साथी होने की प्रथा प्राचीनकाल से ही चली आ रही है।

इस्लाम में एक से अधिक विवाह न तो वह फ़र्ज़ (अनिवार्य) है और न ही पसंदीदा। बस परिस्थितियों के हिसाब से उसकी अनुमति दी गई है। क़ुरआन में बहु-विवाह को लेकर जो उल्लेख है, उसमें साफ़ शब्दों में लिखा है कि 'यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके बीच (अपनी पत्नियों के) न्याय नहीं कर सकोगे, तो मात्र एक से विवाह करो।'

क़ुरआन में एक निकाह को ज़रूरी कहा गया और विशेष परिस्थितियों में चार तक की अनुमति दी गई। सवाल उठता है कि यह अनुमति दी ही क्यों गई? दरअस्ल, इसकी भी वजह है-

1. क़ुरआन जब अवतरित हुआ, तब युद्ध चल रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष मारे जा रहे थे। इसकी वजह से विधवा औरतों की तादाद बढ़ रही थी। माना गया कि यह स्थिति आगे भी जारी रहेगी। अगर पुरुषों को एक ही शादी तक सीमित कर दिया गया तो विधवा औरतों के सामने अपनी बाक़ी ज़िन्दगी काटने और बच्चों के पालन-पोषण का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि मजबूरी में कुछ औरतें ग़लत कार्यों की ओर क़दम बढ़ा दें, जो समाज के हित में नहीं होगा। अगर पुरुष के लिए अधिकतम चार विवाह तक की अनुमति रहेगी, तो विधवा विवाह का रास्ता खुला रहेगा। विधवा औरतें नई ज़िन्दगी जी सकेंगीं।

2. मात्र एक विवाह की इजाज़त

होने पर अगर पत्नी किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, जिससे वह पति के साथ शारीरिक संबंध न बना पाए तो दो तरह के संकट खड़े हो सकते हैं। एक तो यह कि पुरुष अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पराई औरतों का रुख़ करेगा, जिससे व्याभिचार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे यह कि पत्नी जब शारीरिक संपर्क के योग्य नहीं होगी तो वंश न बढ़ने का संकट खड़ा हो जाएगा। इसे देखते हुए भी एक से अधिक विवाह की अनुमति दी गई।

3. अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच प्रेम हो गया हो तब, ऐसे में अगर पुरुष पहले से ही एक शादी कर चुका है और दूसरी शादी करने की अनुमति न हो, तो नतीजा यह होगा कि प्रेमिका कभी पत्नी का दर्जा नहीं पा सकेगी। समाज में उसे किसी व्यक्ति की रखैल की हैसियत से ही देखा जाएगा और उसके पास पत्नी के अधिकार नहीं होंगे। यदि इस बीच दोनों से कोई संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसे पिता का नाम भी नहीं मिल पाएगा न अन्य पारिवारिक अधिकार।

मुस्लिम महिलाओं को बहुविवाह की अनुमति क्यों नहीं? जब-तब यह सवाल उठता रहता है कि जब इस्लाम में पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति है तो फिर इस धर्म की महिलाओं के लिए यह अनुमति क्यों नहीं? अस्ल में एक व्यावहारिक कारण से इसकी इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अगर-

1. ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी दिक़्क़त यह आएगी कि महिला के जो पति होंगे, उनके मकान अलग-अलग होंगे, वह अलग-अलग शहरों-राज्यों के भी हो सकते हैं।



2. ऐसे में यह विवाद निपटाना आसान नहीं होगा कि महिला किसके साथ रहे?

3. अलग-अलग पतियों के साथ शारीरिक संबंध होंगे। ऐसे में जो संतान होगी, उसके पिता का पता लगाना मुश्किल होगा।

4. कई पतियों से शारीरिक संबंध बनाने से यौन रोग की आशंका भी अधिक होगी। इन्हीं वजहों से महिलाओं को बहु-विवाह की इजाज़त नहीं दी गई।

इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि बहुपत्नीत्व एक प्राचीन संस्था है। प्राचीन भारत के लिखित इतिहास में भी बहुपत्नीत्व के अभिलेख मिलते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन की दो पत्नियां थीं, जो आपस में सगी बहनें थीं। कश्यप की 13 पत्नियां, सोमा की 27 पत्नियां और अरिष्टनेमिला की 4 पत्नियां थीं। राम के पिता दशरथ की 3 पत्नियां मानी जाती हैं। कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां और 16,100 उपपत्नियां थीं। कृष्ण जी के पिता वासुदेव की 14 पत्नियां थीं। हनुमान के पिता केसरी की 2 पत्नियां, अंजनी और अद्रिका थीं। शिव पुराण और रुद्र संहिता में गणेश जी की दो पत्नियां बताई गई हैं। मनुस्मृति के लेखक मनु की 10 पत्नियां थीं।

ऐसे एक-दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। भगवद् गीता के भाष्यकार स्वामी प्रभुपाद बहुपत्नीत्व पर टिप्पणी करते हुए भगवद् गीता के भाष्य में लिखते हैं, 'वेदों के अनुसार बहुविवाह की अनुमति है। इसलिए कृष्ण ने कई विवाह किए थे; अर्जुन ने 4 और वासुदेव ने 16 या 18 विवाह

किए थे।

बौद्ध धर्म में बहुविवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सम्राट अशोक के पिता राजा बिन्दुसार की 16 पत्नियां थीं, जबकि सम्राट अशोक की 5 रानियां थीं। बहुपत्नीत्व थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका में भी प्रचलित है। तिब्बत दुनिया में बहुपत्नीत्व के लिए प्रसिद्ध है।

बहुपत्नीत्व प्रथा के प्रमाण मध्यकालीन इतिहास में भी मिलते हैं। शाहजी राजा की 2 पत्नियां जीजाबाई और तुकाबाई थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं 8 विवाह किए थे। उनके बेटे राजाराम महाराज ने 4 शादियां की थीं। महाराज भूपेंद्र सिंह पटियाला की 5 पत्नियां थीं। उदयपुर के महाराज फतेह सिंह की 2 पत्नियां थीं। महाराजा रणजीत सिंह की 11 पत्नियां थीं। जयपुर के राजा मान सिंह ने बारह शादियां की थीं। 12 रानियों के 12 महल आज भी उनकी राजधानी जयपुर के आमेर क़िले में संरक्षित हैं। पेशवाओं की सैकड़ों रखैलें हुआ करती थीं।

उपरोक्त उदाहरणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ये पुरातन मामले हैं और आज नहीं होते हैं। मशहूर उद्यमी गजानन बिड़ला की कई पत्नियां थीं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध उद्यमी पी. राजगोपाल की दूसरी पत्नी का मामला भी भारत में चर्चित था। धर्मेंद्र की दो पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी हैं। मुलायम सिंह यादव की दो पत्नियां मालती देवी और साधना गुप्ता हैं। रामविलास पासवान का विवाह राजकुमारी देवी और रीना शर्मा से हुआ था। उपरोक्त उदाहरणों में से किसी का भी इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल यह दर्शाना है कि बहुपत्नीत्व सभी युगों में एक प्रचलित प्रथा थी और है।

भारत में 15.25 प्रतिशत आदिवासी बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं, 6.72 प्रतिशत जैन बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं। 7.9 प्रतिशत बौद्ध बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं। 5.8 प्रतिशत हिन्दू बहुविवाही है। भारत सरकार की 1961 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह करने वालों की संख्या 12 लाख थी,

भारत में 15.25 प्रतिशत आदिवासी बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं, 6.72 प्रतिशत जैन बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं। 7.9 प्रतिशत बौद्ध बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं। 5.8 प्रतिशत हिन्दू बहुविवाही है। भारत सरकार की 1961 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह करने वालों की संख्या 12 लाख थी, जबकि हिंदू समुदाय में यही संख्या 1 करोड़ से अधिक थी। 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1.8 प्रतिशत हिंदू बहुविवाही हैं। हिंदू आबादी के 1.8 यानी 1.4 करोड़ हिंदू बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं।

जबकि हिंदू समुदाय में यही संख्या 1 करोड़ से अधिक थी। 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1.8 प्रतिशत हिंदू बहुविवाही हैं। हिंदू आबादी के 1.8 यानी 1.4 करोड़ हिंदू बहुविवाही (बहुपत्नीत्व) हैं।

महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हाल के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 5 लाख मुसलमानों के शहर में केवल 151 पुरुष बहुविवाही हैं। यह संख्या 0.1 प्रतिशत भी नहीं है। बहुविवाह के विषय पर लिखते हुए, हिंदुस्तान टाइम्स ने ज़ोर देकर कहा, 'अहमदाबाद के कलेक्ट्रेट में दोस्ती के अनुबंध के 29,551 मामले दर्ज किए गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों से बचाने के लिए विवाहित हिंदू पुरुषों और अन्य महिलाओं के बीच एक मैत्री अनुबंध का उपयोग किया जाता है।

(13 जुलाई 2003)

2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक़ देश में विधवाओं की संख्या 4,32,61,478, तलाक़शुदा महिलाओं की संख्या 9,09,573, बिना तलाक़ के छोड़ दी गई महिलाओं की संख्या 23,72,754 और अविवाहित महिलाओं की संख्या (जो बालिग़ होने की उम्र तक पहुंच चुके हैं) की करोड़ों में है। महिला अधिकारों के नाम पर महिलाओं के शोषण में योगदान देने वाले संगठनों को इन महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। हम इस तथ्य से कैसे इन्कार कर सकते हैं कि ये महिलाएं आज दुनिया में हाशिए पर हैं। इनमें से अधिकांश महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इन महिलाओं के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) द्वारा निर्मित समाज में विधवाओं और तलाक़शुदा महिलाओं की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। यदि आप महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आपको समाज के सामने यह बात पेश करना चाहिए कि आप इन करोड़ों महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं? ■■

बीजेपी के निगेटिव कैंपन को जनता ने रिजेक्ट कर दिया: कांग्रेस

कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत के बाद पार्टी के नेता राहुल गांधी ने राज्य की जनता का आभार जताते हुए कहा कि नफरत की दुकान अब बंद हो गई है और प्यार की दुकान खुल गई है।उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की ताकत ने क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत को हरा दिया है।



राहुल ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा, कर्नाटक के लोगों, हमारी पार्टी के नेताओं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा, कर्नाटक चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ गरीब लोगों की ताकत थी। गरीब लोगों की ताकत ने सर्वशक्तिमान को हरा दिया।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है और हमने उनके मुद्दे पर लड़ाई लड़ी।उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई नफरत पर नहीं, बल्कि प्यार के मुद्दों पर थी। हम लोगों के साथ मिल कर लड़े और राज्य की जनता ने दिखा दिया कि प्यार जीत सकता है।

उन्होंने कहा कि यह अन्य राज्यों में भी दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा, कर्नाटक में नफरत की दुकान बंद हो गई है और प्यार की दुकान खुल गई है। यह कर्नाटक के लोगों की जीत है। हमने पांच वादे किए थे और हम अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन वादों को पूरा करेंगे।

'द केरल स्टोरी' शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा-ममता

पश्चिम बंगाल सरकार ने दक्षिणपंथी कट्टरता को बढ़ावा देने वाली विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' को राज्य में बैन कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य में शान्ति-व्यवस्था को बनाए रखने तथा अम्न कायम रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। देश में दो राज्यों में इस विवादित फिल्म पर रोक लगायी गयी है। दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों के एजेंडे के अनुसार झूठ, नफरत और दुष्प्रचार पर आधारित इस फिल्म का देश भर में विरोध हो रहा है, जबकि भाजपा जैसे संगठन इसका प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु में कुछ थिएटर मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने का एलान किया। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश और उप में इसको टैक्स फ्री कर लोगों को देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका कारण भाजपा का दक्षिणपंथी संगठनों का सियासी चेहरा होना है। यह फिल्म किस मकसद के लिए बनी है यह भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के बयान से स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं कि यह फिल्म लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है। इसको सभी को देखना चाहिए। फिल्म पर रोक लगाने वाली ममता बनर्जी का कहना है कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राज्य की शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है। केरल के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने दक्षिणपंथियों का नाम लिये बिना कहा कि इन लोगों ने पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया और अब केरल के लोगों का अपमान कर रहे हैं।

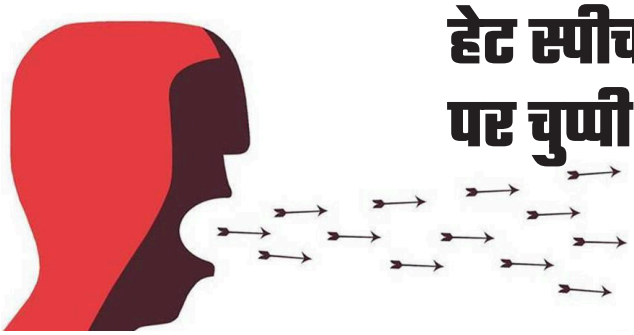


छात्र नेताओं की ज़मानत के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस की याचिका सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज



दिल्ली पुलिस की उस विशेष याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत को चुनौती दी गई थी। यूएपीए के तहत जेल में बंद तीनों छात्र कार्यकर्ताओं को जून 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी, फिर दिल्ली पुलिस उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने दिल्ली पुलिस की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तीनों छात्र करीब दो साल से ज़मानत पर हैं। अदालत ने कहा कि, "हमें इस मामले को ज़िन्दा रखने का कोई कारण नज़र नहीं आता।"

ज्ञात हो कि, तीनों छात्र कार्यकताओं को फ़रवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़े में हुए दंगों की "व्यापक साज़िश" रचने आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। बाद में ना.चा. के तहत उन पर मुक़दमा चला था। ग़ौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ आंदोलन को बढ़ता देखकर उसका विरोध करने वालों ने साज़िश रची, जिसके कारण फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई स्थानें में दंगे हुए। उन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए थे। हिंसा में मारे गए लोगों में ज़्यादातर मुसलमान थे। उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले पर इंडिया टुमारो बात करते हुए आसिफ़ इक़बाल तन्हा कहते हैं, "यह दिल्ली पुलिस का फेलियर है, सब जानते हैं कि हमें जान बूझ कर ग़लत तरीक़े से फँसाया गया था, दंगों के वास्तविक आरोपियों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस असफ़ल रही है।"



हेट स्पीच मामले में प्रधानमंत्री पर चुप्पी साधे रहने का आरोप

कुशल और विचारशील अभिनेताओं में से एक नसीरुद्दीन शाह ने नफ़रती भाषण अथवा हेट स्पीच के के विषय में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संबंध में चुप्पी, उनकी मौन सहमति प्रतीत होती है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि बोलना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, हम सभी की रक्षा करना उनका काम है, सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है। 'द वायर' से बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि यह कोई नयी बात नहीं है और भारतीयों को पीढ़ियों से नहीं, बल्कि दशकों से इस तरह की ग़ैर-जिम्मेदार बातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमेशा से था, हमेशा से हमारे समाज में व्याप्त रहते हुए सही परिस्थितियों की ताक में रहता है और वर्तमान शासन ने नफरती भाषण को वैध बना दिया है। स्पष्ट रूप से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे सरकार सभी आलोचकों को 'राष्ट्र-विरोधी' कहती है। उन्होंने कहा कि देश-विरोधियों और टुकड़े-टुकड़े गैंग की पूरी बात बेतुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार थी जो भारत को 'टुकड़ों' में विभाजित कर रही थी। उन्होंने वर्तमान स्थिति को 'एक अघोषित आपातकाल' कहा। हम एक लोकतंत्र होने का दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम सभी नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास न करें और ज़हर फैलाना और नफरत और हिंसा को बढ़ावा देना बंद न कर दें।

कार्यस्थल पर भेदभाव से जूझ रहीं 65 फ़ीसदी महिला डॉक्टर-अध्ययन



प्रमुख महानगरों और टियर-2 शहरों में 500 डॉक्टर-माताओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि 65 फीसदी ऐसी महिला डॉक्टर निजी और पेशेवर जीवन के बीच तालमेल बिठाने के लिए जूझ रही हैं।

गुरुग्राम स्थित प्रिस्टिन केयर और लाइब्रेट डेटा द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि 41 प्रतिशत डॉक्टर-माताओं ने ''डॉक्टर और मां होने'' के कारण कार्यस्थल पर भेदभाव का अनुभव किया है। यह अध्ययन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर, चंडीगढ़, पटना, कोच्चि और विजयवाड़ा में किया गया था। अध्ययन में पाया गया है कि औसतन 63 प्रतिशत डॉक्टर रोजाना आठ से 12 घंटे काम करते हैं, जिससे उनका निजी जीवन भी प्रभावित होता है। यह भी सामने आया है कि इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक पेशेवर खुद की देखभाल के वास्ते समय निकालने के लिए भी जूझते हैं।

प्रिस्टिन केयर की सह-संस्थापक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गरिमा साहनी ने कहा, ''इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि डॉक्टर-माताएं अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कैसे तालमेल बिठाती हैं। हमने उनके काम के घंटे, कार्य समय की प्राथमिकताएं, स्व-देखभाल की आदतों और मानव संसाधन नीतियों पर उनके दृष्टिकोण को लेकर विचार किया है।''



देश में बढ़ती बेरोज़गारी एक समस्या बनी हुई है। बेरोज़गारी और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ गयी है। वहीं हर साल लाखों लोग देश छोड़ कर जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में एनएसएसओ की ताज़ा रिपोर्ट चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के लगभग एक तिहाई युवाओं के पास न तो रोज़गार है और न ही उनके पास शिक्षा है। भारत सरकार की इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 से 29 वर्ष के आयुवर्ग में शामिल हर तीन भारतीय युवाओं में से एक रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण से दूर है। अगर इस संबन्ध में महिलाओं के बारे में बात की जाए तो यह आंकड़ा अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इस आयु वर्ग में शामिल 50 फ़ीसद से अधिक भारतीय महिलाएं न तो नौकरी करती हैं और न ही पढ़ती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दो लाख 76 हज़ार घरों में कराए गये सर्वेक्षण का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतकों पर राष्ट्रीय डेटा जुटाना था। इससे पहले एनएसएसओ की ही रिपोर्ट एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में बेरोज़गारी पिछले 45 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों में ग्रामीण और शहरी इलाक़ों में अंतर पाया जाता है। इसके विपरीत युवाओं को रोज़गार देने की जगह उनको उन्मादी भीड़ बनाकर देश में नफ़रत फैलाने का काम लिया जा रहा है ताकि लोग मूल समस्याओं की बात न करें।



कमज़ोर पाचन, कष्ट भरा जीवन

सेहत



संपादन प्रभाग

आप जो भी खाते हैं, वह सही से पचता (indigestion) नहीं है, तो इससे पेट फूलने, मतली, अपच, पेट में जलन, गैस की समस्या बढ़ सकती है। पेट साफ़ रहना स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि भोजन सही से नहीं पचेगा, तो वह आंतों में कई दिनों तक रहेगा, पेट साफ़ नहीं होगा। इससे क़ब्ज़ की समस्या हो सकती है। ये सभी कई रोगों को जन्म दे सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपका पाचन तंत्र (Digestive system) सही तरीक़े से काम करे। यदि पाचन प्रक्रिया सही से न हो तो ऐसे में शरीर में काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पाचन से संबंधित कुछ समस्याएं जैसे क़ब्ज़, दस्त, उल्टी, एसीडिटी इत्यादि पाचन के सही से न होने के कारण शरीर में हो जाती हैं।

जो लोग अत्यधिक मसालेदार, तैलीय चीज़े, जंक फ़ूड इत्यादि का सेवन करते हैं उनमें पाचन से संबंधित काफ़ी समस्याएं दिखाई देती हैं।

ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन चीज़ों से दूर रहें जो पाचन को ख़राब करती हैं। आइए, अब बात करते हैं कि हम पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए क्या कर सकते हैं-

• पाचन संबंधी समस्याएं इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि हमारा आहार सही नहीं होता है। यदि हम अपने आहार में पोषण से भरपूर चीज़ों को शामिल करें तो ऐसे में पाचन प्रक्रिया में कोई दिक़्क़त पैदा नहीं होती।

• हमें अपने आहार में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स इत्यादि की एक निश्चित मात्रा का ही सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए ये सारे ही पोषक तत्व ज़रूरी हैं, लेकिन याद रखें इनकी निश्चित मात्रा का ही सेवन होना चाहिए।

• यदि आप अपने आहार में हरी सब्ज़ियों को नहीं खाते हैं तो ऐसे में आपको पाचन संबंधी समस्याएं देखने

को मिल सकती हैं। हरी सब्ज़ियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं जो न सिर्फ़ पाचन को सही करती हैं, बल्कि शरीर को स्वस्थ भी बनाती हैं।

• यदि आप जंक फ़ूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्डड्रिंक, चौमीन या चाय का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको क़ब्ज़ और एसिडिटी हो सकती है। इन चीज़ों को अपने आहार से दूर करें और पाचन संबंधी समस्याओं से बचें।

• जिन लोगों को क़ब्ज़ की समस्या है उन्हें ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें



फ़ाइबर की मात्रा पाई जाती है। इसके लिए आम तथा संतरा खाया जा सकता है। इसी के साथ-साथ पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मौसमी फलों का सेवन किया जा सकता है।

• समुचित मात्रा में पानी का सेवन करें। पानी की कमी से एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

• प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में व्यायाम तथा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करें। इससे शरीर में पाचन तो सुदृढ़ बनता ही है और इसी के साथ-साथ शरीर में कैलोरी की सही से खपत हो पाती है।

• आप जो भी खाते हैं, उसे अच्छी तरह से चबा-चबाकर खाएं। कम से कम 15 से 20 बार भोजन को मुंह में ज़रूर चबाएं, उसके बाद ही पेट के अंदर लें। खाना को अधिक चबाने से लार एंजाइम को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन शक्ति में सुधार होता है।

• यदि आपको टॉयलेट जाना है, लेकिन आप अपने काम के चक्कर में इसे टालते रहते हैं, तो ऐसा न करें। इससे पाचन शक्ति और आंतों पर नेगेटिव असर पड़ता है। एक-दो दिन आप मल त्याग नहीं करेंगे, तो यह बड़ी आंतों में रहकर सख़्त, टाइट हो जाएगा, जिससे क़ब्ज़ हो सकती है। क़ब्ज़ से कई अन्य समस्याएं होने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसी ही कुछ छोटी-छोटी जीवनशैली में बदलाव लाकर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए अपने भोजन का समय निर्धारित करें। प्रतिदिन नाश्ता तथा खाना समय पर ही खाएं। अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से बचें। पाचन संबंधी समस्याओं से बचकर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं।

पाचन संबंधी समस्याएं इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि हमारा आहार सही नहीं होता है। यदि हम अपने आहार में पोषण से भरपूर चीज़ों को शामिल करें तो ऐसे में पाचन प्रक्रिया में कोई दिक़्क़त पैदा नहीं होती। पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए अपने भोजन का समय निर्धारित करें। प्रतिदिन नाश्ता तथा खाना समय पर ही खाएं। अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से बचें। पाचन संबंधी समस्याओं से बचकर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं।

करियर को लेकर कैसे लें सही निर्णय ?



करियर



संपादन प्रभाग

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित ज़्यादातर शिक्षा बोर्डों के दसवीं और बारहवीं परिणाम आ चुके हैं। आमतौर पर दसवीं और बारहवीं के बाद छात्रों को अपने करियर को लेकर निर्णय करना होता है। आमतौर पर युवा 12वीं की शिक्षा के बाद से अपने करियर को लेकर गंभीर हो जाते हैं। कारण यह है कि इसके बाद बेहतर करियर के लिए अनेक विकल्प उनके सामने मौजूद होते हैं।

बेहतर करियर के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। बिना ज़रूरी दिशा-निर्देश के करियर की तैयारी करने में कई बार लक्ष्य से भटकाव का सामना करना पड़ता है। ग़लती करके सीखने से बेहतर है कि पहले ही पूरी जानकारी हासिल कर ली जाए। इससे करियर का प्लान करने में आसानी होती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको अपने करियर का चुनाव करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जानकारी के अभाव में उनके पास बेहतर तैयारी नहीं थी। ऐसे में मार्गदर्शन अहम पड़ाव है।

सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि किस क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी है। जिस क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी है, उसको लेकर आप कितने गंभीर हैं। यदि आप अपने क्षेत्र के चुनाव को लेकर गंभीर हैं तो आपको उस दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मेहनत करने से पहले यह भी जानना ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में मेहनत कितनी है और उसके लिए क्या-क्या करना पड़ सकता है। अगर बिना पूरी जानकारी हासिल किये आपने उस दिशा में मेहनत शुरू कर दी तो संभव है कि एक समय के बाद आपका मन उस दिशा से डगमगाने लगे। जिस क्षेत्र में आपको दिलचस्पी है अथवा जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है।

आपको उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने होंगे। उसको लेकर जितनी आशंकाएं हैं उनको समझना होगा, जो डर है उनको दूर कर लें। फिर उस दिशा में एकाग्र मन से अध्ययन के साथ आगे बढ़ना आपके लिए हितकर हो सकता है।

स्व-मूल्यांकन : अपने भविष्य को सामने रखकर अपने बेहतर करियर की योजना बनाने से पहले ख़ुद को समझना बेहद ज़रूरी है। अपनी स्थिति, अपना समय, योग्यता, मेहनत की क्षमता आदि को समझें। इससे फ़ैसला लेने में आसानी होगी। जैसे करियर के लिए कितना समय आपके पास है, उसी समय में आपको अपना रास्ता चुन लेना है, उसके बाद आपके पास क्या विकल्प हो सकते हैं आदि। इसी के अनुसार प्लान बनाएं और मेहनत शुरू करें।

इससे आपकी मुश्किलें ज़्यादा आसान हो जाएंगी।

निरंतरता बनाए रखें : ऐसा देखा गया है कि लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसके अनुसार तैयारी अथवा मेहनत नहीं करते। शुरू में बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन बाद में लापरवाह हो जाते हैं। जैसे आज का युवा मोबाइल पर सबसे ज़्यादा समय बरबाद करता है। घंटों मोबाइल पर समय बरबाद करने के बाद उसको याद आता है कि उसको अपने बेहतर करियर बनाने की तैयारियों के बीच आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

धैर्य रखें : धैर्य और आत्मविश्वास दोनों बनाए रखें। जब समय का सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी जारी रखेंगे और उस रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करते जाएंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर कहीं कोई दुविधा हो तो पहले उसके बारे में समझें, फिर अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा रखें। जो चुनौतियों आत्मविश्वास



जानकारों से सलाह लें : जिस क्षेत्र को आपने करियर के लिए चुना है, उस क्षेत्र के मार्गदर्शन के लिए अनुभवी लोगों से सलाह लें। उस क्षेत्र से संबंधित करियर गाइड पढ़ें। विशेषज्ञों से सलाह लें। इंटरनेट के ज़रिये उसके बारे में जानकारी हासिल करें। अपना एक नोट बनाएं। उसमें ज़रूरी बातें और चुनौतियों को लिखें जिनके बारे में आपको ख़ासतौर पर तैयारी करनी है, के लिए कुछ तैयारी भी करनी है, पढ़ना है अथवा सीखना है। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते समय के महत्व को समझा जाए।

एकाग्रता बनाए रखें : अपने करियर को लेकर गंभीर बनें। उसकी चिंता करें और उसके बारे में सोचें। अपनी मेहनत पर फोकस करें, मेहनत में एकाग्रता लाएं। इससे आपकी सीखने व समझने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी लगन बढ़ेगी। बेहतर करियर होने पर दिखती है, आत्मविश्वास खोने पर वे कहीं ज़्यादा बड़ी दिखने लगती हैं। इसलिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके दम पर बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। उक्त उपायों को अपना कर आप आसानी के साथ अपने करियर के चुनाव को लेकर उस दिशा में आगे बढ़ने में सफलता हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सही जानकारी मेहनत और लगन आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। ■■

प्रेरक प्रसंग

"छोटी गट्ठर"

डॉ. राही मासूम रज़ा को फ़िल्म निर्माता व निर्देशक बीआर चोपड़ा ने "महाभारत" टीवी सीरियल की पटकथा (STORY SCRIPT) लिखने को कहा।

राही मासूम रज़ा ने इन्कार कर दिया। दूसरे दिन यह ख़बर न्यूज़ पेपर में छप गयी।

हज़ारों लोगों ने चोपड़ा साहब को ख़त लिखा कि :

...एक मुसलमान ही मिला "महाभारत" लिखवाने के लिए ?

चोपड़ा साहब ने सारे ख़तों को राही मासूम रज़ा के पास भिजवा दिया।

ख़तों के ज़खीरे को देखने के बाद राही मासूम रज़ा ने चोपड़ा साहब से कहा कि...अब तो मैं ही लिखूंगा "महाभारत" की पटकथा , क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूं।

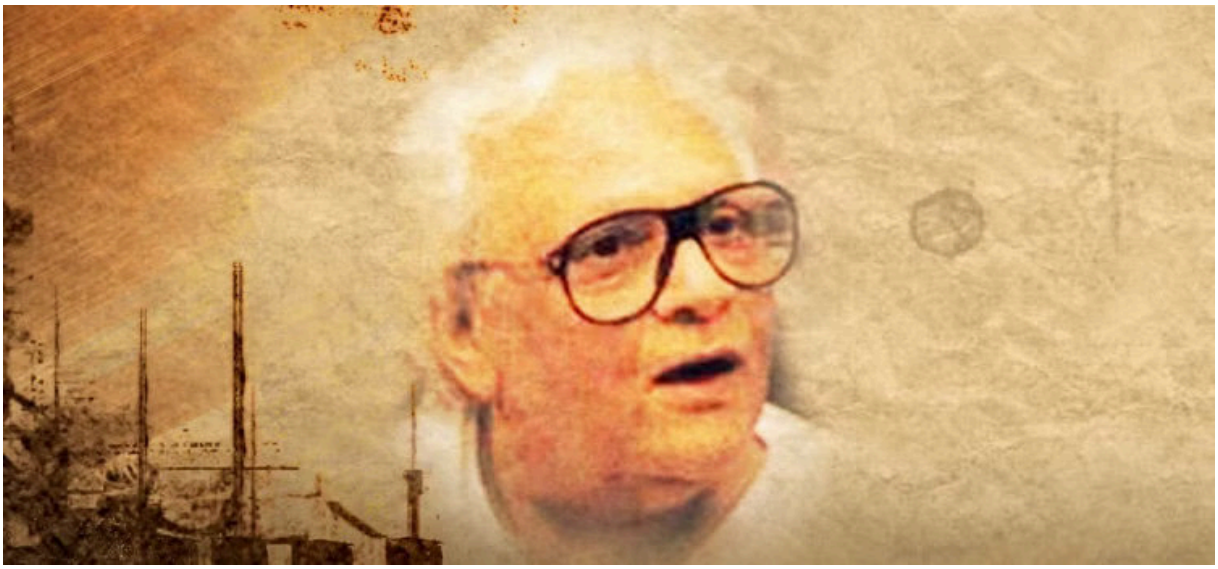
राही मासूम रज़ा ने जब टीवी सीरियल "महाभारत" की पटकथा लिखी तो उनके घर में ख़तों के अंबार लग गए। लोगों ने डॉ. राही मासूम रज़ा की ख़ूब तारीफ़ें की एवं उन्हें ख़ूब दुआएं दी।

ख़तों के कई गट्ठर बन गए, लेकिन एक बहुत छोटा-सा गट्ठर उनकी मेज़ के किनारे सब ख़तों से अलग पड़ा था।

उनकी मेज़ के किनारे अलग से पड़ी हुई ख़तों की सबसे छोटी गट्ठर के बारे में वजह पूछने पर राही मासूम रज़ा साहब ने जवाब दिया कि...ये वह ख़त हैं जिनमें मुझे गालियां लिखी गयी हैं।

कुछ हिंदू इस बात से नाराज़ हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान होकर "महाभारत" की पटकथा लिखने की ?

कुछ मुसलमान नाराज़ हैं कि तुमने हिंदुओं की क़िताब को क्यूं लिखा ?



राही साहब ने कहा : ..."ख़तों की यही सबसे छोटी गट्ठर दरअस्ल मुझे हौसला देती है कि मुल्क में बुरे लोग कितने कम हैं।"

याद रखने की बात ये है कि :

आज भी नफ़रत फैलाने वालों की "छोटी गट्ठर" हमारे प्यार-मुहब्बत के "बड़े गट्ठर" से बहुत छोटी है। ■■

(साभार, FilmyMooz.com)

इतिहास के साथ यह अन्याय क्यों ?



औरंगज़ेब के फ़रमानों की जांच-पड़ताल के सिलसिले में मेरा सम्पर्क श्री ज्ञानचन्द्र और पटना म्यूज़ियम के भूतपूर्व क्यूरेटर डा० पी०एल० गुप्ता से हुआ। ये महानुभाव भी औरंगज़ेब के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि से अति महात्वपूर्ण रिसर्च कर रहे थे। मुझे ख़ुशी हुई कि कुछ अन्य अनुसन्धानकर्ता भी सच्चाई को तलाश करने में व्यस्त हैं और काफ़ी बदनाम औरंगज़ेब की तस्वीर को साफ़ करने में अपना योगदान दे रहे हैं।

इतिहास का सच और सच का इतिहास



प्रो. विशम्भरनाथ पाण्डेय

जब मैं इलाहबाद नगरपालिका का चेयरमैन था (वर्ष 1948 से 1953 तक तक) तो मेरे सामने दाख़िल-ख़ारिज का एक मामला लाया गया। यह मामला सोमेश्वर नाथ महादेव मन्दिर से संबंधित जायदाद के बारे में था। मन्दिर के महंत की मृत्यु के बाद उस जायदाद के दो दावेदार खड़े हो गए थे। एक दावेदार ने कुछ दस्तावेज़ दाख़िल किये जो उसके ख़ानदान में बहुत दिनों से चले आ रहे थे। इन दस्तावेज़ो में शहंशाह औरंगज़ेब के फ़रमान भी थे। औरंगज़ेब ने इस मन्दिर को जागीर और नक़द अनुदान दिया था। मैंने सोचा कि ये फ़रमान जाली होंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि औरंगज़ेब जो मन्दिरों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, वह एक मन्दिर को यह कह कर जागीर दे सकता है कि यह जागीर पूजा और भोग के लिए दी जा रही है। आख़िर औरंगज़ेब कैसे बुतपरस्ती के साथ अपने को शरीक़ कर सकता था?

मुझे यक़ीन था कि ये दस्तावेज़ जाली हैं, परन्तु कोई निर्णय लेने से पहले मैने डा. सर तेज बहादुर सप्रू से राय लेना उचित समझा। वे अरबी और फ़रसी के अच्छे जानकार थे। मैंने

Granted Land for Temples

Protected Hindu Ascetics



AURANGZEB PROTECTER OF HINDU TEMPLES

दस्तावेज़ें उनके सामने पेश करके उनकी राय मालूम की तो उन्होंने दस्तावेज़ों का अध्ययन करने के बाद कहा कि औरंगज़ेब के ये फ़रमान असली और वास्तविक हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मुन्शी से बनारस के जंगमबाड़ी शिव मन्दिर की फ़ाइल लाने को कहा। यह मुक़दमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 साल से विचाराधीन था। जंगमबाड़ी मन्दिर के महंत के पास भी औरंगज़ेब के कई फ़रमान थे, जिनमें मन्दिर को जागीर दी गई थी।

इन दस्तावेज़ों ने औरंगज़ेब की एक नई तस्वीर मेरे सामने पेश की, उससे मैं आश्चर्य में पड़ गया। डाक्टर सप्रू की सलाह पर मैंने भारत के विभिन्न प्रमुख मन्दिरों के महंतों के पास पत्र भेज कर उनसे निवेदन किया कि यदि उनके पास औरंगज़ेब के कुछ फ़रमान हों, जिनमें उन मन्दिरों को जामीरें दी गई हों तो वे कृपा करके उनकी फोटो-स्टेट कापियां मेरे पास भेज दें। अब मेरे सामने एक और आश्चर्य की बात आई। उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर, चित्रकूट के बालाजी मन्दिर, गौहाटी के उमानन्द मन्दिर, शत्रुन्जाई के जैन मन्दिर और उत्तर भारत में फैले हुए अन्य प्रमुख मन्दिरों एवं गुरुद्वारों से सम्बन्धित जागीरों के लिए औरंगज़ेब के फ़रमानों की नक़लें मुझे प्राप्त हुईं। ये फ़रमान 1065 हि० से 1091 हि०, अर्थात् 1659 ई० से 1685 ई० के बीच जारी किए गए थे।

हालांकि हिन्दुओं और उनके मन्दिरों के प्रति औरंगज़ेब के उदार रवैये की ये कुछ मिसालें हैं, फिर भी इनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि इतिहसकारों ने उसके सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह पक्षपात पर आधारित है और इससे उसकी तस्वीर का एक ही रुख़ सामने लाया गया है। भारत एक विशाल देश है, जिसमें हज़ारों मन्दिर चारों ओर फैले हुए हैं। यदि सही ढ़ंग से खोजबीन की जाए तो मुझे विश्वास है कि और बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाऐंगे जिनसे औरंगज़ेब का ग़ैर-मुस्लिमों के प्रति उदार व्यवहार का पता चलेगा।

औरंगज़ेब के फ़रमानों की जांच-पड़ताल के सिलसिले में मेरा सम्पर्क श्री ज्ञानचन्द्र और पटना म्यूज़ियम के भूतपूर्व क्यूरेटर डा० पी०एल० गुप्ता से हुआ। ये महानुभाव भी औरंगज़ेब के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि से अति महात्वपूर्ण रिसर्च कर रहे थे। मुझे ख़ुशी हुई कि कुछ अन्य अनुसन्धानकर्ता भी सच्चाई को तलाश करने में व्यस्त हैं और काफ़ी बदनाम औरंगज़ेब की तस्वीर को साफ़ करने में अपना योगदान दे रहे हैं। औरंगज़ेब, जिसे पक्षपाती इतिहासकारों ने भारत में मुस्लिम हुकूमत का प्रतीक मान रखा है। उसके बारे में वे क्या विचार रखते हैं इसके विषय में यहां तक शिबली जैसे इतिहास गवेषी कवि को कहना पड़ा-

तुम्हें ले-दे के सारी दास्तां में याद है इतना।

कि औरंगज़ेब हिन्दू-कुश था, ज़ालिम था, सितमगर था।।

औरंगज़ेब पर हिन्दू-दुश्मनी के आरोप के सम्बन्ध में जिस फ़रमान को



बहुत उछाला गया है, वह 'फ़रमान-बनारस' के नाम से प्रसिद्ध है। यह फ़रमान बनारस के मुहल्ला गौरी के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। 1905 ई० में इसे गोपी उपाध्याय के नवासे मंगल पाण्डेय ने सिटी मजिन्ट्रट के समक्ष पेश किया था। इसे पहली बार 'एशियाटिक-सोसाइटी' बंगाल के जर्नल (पत्रिका) ने 1911 ई० में प्रकाशित किया था। फलस्वरूप रिसर्च करने वाले का ध्यान इधर गया। तब से इतिहासकार प्रायः इसका हवाला देते आ रहे हैं और वे इसके आधार पर औरंगज़ेब पर आरोप लगाते हैं कि उसने हिन्दू मन्दिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि इस फ़रमान का वास्तविक महत्व उनकी निगाहों से ओझल रह जाता है।

यह लिखित फ़रमान औरंगज़ेब ने 15 जुमादुल-अव्वल 1065 हि० (10 मार्च 1659 ई०) को बनारस के स्थानीय अधिकारी के नाम भेजा था जो एक ब्राह्मण को शिकायत के सिलसिले में जारी किया था। वह ब्राह्मण एक मन्दिर का महंत था और कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। फ़रमान में कहा गया है-

"अबुल हसन को हमारी शाही उदारता का क़ायल रहते हुए यह जानना चाहिए कि हमारी स्वाभाविक दयालुता और प्राकृतिक न्याय के अनुसार, हमारा सारा अनथक संघर्ष और न्यायप्रिय इरादों का उद्देश्य जन-कल्याण को बढ़ावा देना है और प्रत्येक उच्च एवं निम्न वर्गों के हालात को बेहतर बनाना है। अपने पवित्र क़ानून के अनुसार, हमने फ़ैसला किया है कि प्राचीन मन्दिरों को तबाह और बर्बाद नहीं किया जाय, अलबत्ता नए मन्दिर न बनाए जाएं।

हमारे इस न्याय पर आधारित काल में हमारे प्रतिष्ठित एवं पवित्र दरबार में यह सूचना पहुंची है कि कुछ लोग बनारस शहर और उसके आस-पास के हिन्दू नागरिकों और मन्दिरों के ब्राहाणों-पुरोहितों को परेशान कर रहे हैं तथा उनके मामलों में दख़ल दे रहे हैं, जबकि ये प्राचीन मन्दिर उन्हीं की देख-रेख में हैं। इसके अतिरिक्त वे चाहते हैं, कि इन ब्राहाणों को इनके पुराने पदों से हटा दें। यह दख़लंदाज़ी इस समुदाय के परेशानी का कारण है।

इसलिए यह हमारा फ़रमान है कि हमारा शाही हुक्म पहुंचते ही तुम हिदायत जारी कर दो कि कोई भी व्यक्ति ग़ैर-क़ानूनी रूप से दख़लंदाज़ी न करे और न उन स्थानों के ब्राह्मणों एवं अन्य हिन्दू नागरिकों को परेशान करे। ताकि पहले की तरह उनका क़ब्ज़ा बरक़रार रहे और पूरे मनोयोग से वे हमारी ईश-प्रदत्त सल्तनत के लिए प्रार्थना करते रहें। इस हुक्म को तुरन्त लागू किया जाये।"

इस फ़रमान से बिल्कुल स्पष्ट है कि औरंगज़ेब ने नए मन्दिरों के निर्माण के विरुद्ध कोई नया हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि उसने केवल पहले से चली आ रही परम्परा का हवाला दिया और उस परम्परा की पाबन्दी पर ज़ोर दिया। पहले से मौजूद मन्दिरों को ध्वस्त करने का उसने कठोरता से विरोध किया। इस फ़रमान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह हिन्दू प्रजा को सुख-शान्ति से जीवन व्यतीत करने का अवसर देने का इच्छुक था।

यह अपने जैसा केवल एक ही फ़रमान नहीं है। बनारस में ही एक और फ़रमान मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि औरंगज़ेब वास्तव में चाहता था कि हिन्दू सुख-शान्ति के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। यह फ़रमान इस प्रकार है-

"रामनगर (बनारस) के महाराजाधिराज राजा रामसिहं ने हमारे दरबार में अर्ज़ी पेश की है कि उनके पिता ने गंगा नदी के किनारे अपने धार्मिक गुरु भगवत गोसाईं के निवास के लिए एक मकान बनवाया था। अब कुछ लोग गोसाईं को परेशान कर रहे हैं। अतः यह शाही फ़रमान जारी किया जाता है कि इस फ़रमान के पहुंचते ही सभी वर्तमान एवं आने वाले अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति गोसाईं को परेशान एवं डरा-धमका न सके और न उनके मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि वे पूरे मनोयोग के साथ हमारी ईश-प्रदत्त सल्तनत के स्थायित्व के लिए प्रार्थना करते रहें। इस फ़रमान पर तुरंत अमल किया जाए।" (तारीख़-17रबी उस्सानी

1091 हि॰)

जंगमबाड़ी मठ के महंत के पास मौजूद कुछ फ़रमान से पता चलता है कि औरंगज़ेब कभी यह सहन नहीं करता था कि उसकी प्रजा के अधिकार किसी प्रकार से भी छीने जाएं, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान। वह अपराधियों के साथ सख़्ती से पेश आता था। इन फ़रमानों में एक जंगम लोगों (शैव सम्प्रदाय के एक मत के लोग) की ओर से एक मुसलमान नागरिक नज़ीर बेग के विरुद्ध शिकायत के सिलसिले में है। यह मामला औरंगज़ेब के दरबार में लाया गया, जिस पर शाही हुक्म दिया गया कि बनारस के इलाहाबाद के अफ़सरों को सूचित किया जाता है कि परगना बनारस के नागरिकों अर्जुनमल और जंगमियों ने शिकायत की है कि बनारस के एक नागरिक नज़ीर बेग ने क़स्बा बनारस में उनकी पांच हवेलियों पर क़ब्ज़ा कर लिया है। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि यदि शिकायत सच्ची पाई जाए और जायदाद की मिल्कियत का अधिकार प्रमाणित हो जाए तो नज़ीर बेग को हवेलियों में दाख़िल न होने दिया जाए, ताकि जंगमियों को भविष्य में अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए हमारे दरबार में न आना पड़े।

इस फ़रमान पर 11 शाबान, 13 जुलूस (1672 ई॰) की तारीख़ दर्ज है। इसी मठ के पास मौजूद एक-दूसरे फ़रमान में जिस पर पहली रबीउल-अव्वल 1078 हि॰ की तारीख़ दर्ज है, यह उल्लेख है कि ज़मीन का क़ब्ज़ा जंगमियों को दिया गया। फ़रमान में है-

"परगना हवेली बनारस के साभी वर्तमान और भावी जागीरदारों एवं करोड़ियों को सूचित किया जाता है कि शहंशाह के हुक्म से 178 बीघा ज़मीन जंगमियों को दी गई। पुराने अफ़सरों ने इसकी पुष्टि की थी और उस समय के परगना के मालिक की मुहर के साथ यह सबूत पेश किया गया है कि ज़मीन पर उन्हीं का हक़ है। अतः शहंशाह की जान के सदक़े के रुप में यह ज़मीन उन्हें दे दी गई। ख़रीफ़ की फ़सल के प्रारम्भ से ज़मीन पर उनका क़ब्ज़ा बहाल किया जाए और फिर किसी प्रकार की दख़लंदाज़ी न होने दी जाए, ताकि जंगमी लोग उसकी आमदनी से अपनी देख-रेख कर सकें।"

इस फ़रमान से केवल यही पता

चूंकि यह बहुत घिनौना अपराध था, इसलिए उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनकी मांग पर औरंगज़ेब ने आदेश दिया कि चूंकि पवित्र-स्थल को अपवित्र किया जा चुका है। अतः विश्वनाथ जी की मूर्ति को कहीं और ले जाकर स्थापित कर दिया जाए और मन्दिर को गिरा कर ज़मीन को बराबर कर दिया जाए और महंत को गिरफ़्तार कर लिया जाए।

नहीं चलता कि औरंगज़ेब स्वभाव से न्यायप्रिय था, बल्कि यह भी साफ़ नज़र आता है कि वह इस तरह की जायदादों के बंटवारे में हिन्दू धार्मिक सेवकों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतता था। जंगमियों को 178 बीघा ज़मीन संभवतः स्वयं औरंगज़ेब ही ने प्रदान की थी, क्योंकि एक दूसरे फ़रमान (तिथि 5 रमज़ान, 1071 हि॰) में इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि यह ज़मीन मालगुज़ारी मुक्त है।

औरंगज़ेब ने एक दूसरे फ़रमान (1098 हि॰) के द्वारा एक-दूसरी हिन्दू धार्मिक संस्था को भी जागीर प्रदान की। फ़रमान में कहा गया है-

"बनारस में गंगा नदी के किनारे बेनी-माधो घाट पर दो प्लाट ख़ाली हैं एक मर्कज़ी मस्जिद के किनारे रामजीवन गोसाईं के घर के सामने और दूसरा उससे पहले। ये प्लाट बैतुल-माल की मिल्कियत है। हमने यह प्लाट रामजीवन गोसाईं और उनके लड़के को 'इनाम' के रूप में प्रदान किया, ताकि उक्त प्लाटों पर ब्राह्मणों एवं फ़क़ीरों के लिए रिहायशी मकान बनाने के बाद वे ख़ुदा की इबादत और हमारी ईश-प्रदत्त सल्तनत के स्थायित्व के लिए दुआ और प्रार्थना करने में लग जाएं। हमारे बेटों, वज़ीरों, अमीरों, उच्च पदाधिकारियों, दरोग़ा और वर्तमान एवं भावी कोतवालों के लिए अनिवार्य है कि वे इस आदेश के पालन का ध्यान रखें और उक्त प्लाट, उपर्युक्त व्यक्ति और उसके वारिसों के क़ब्ज़े ही में रहने दें और उनसे न कोई मालगुज़ारी या टैक्स लिया जाए और न उनसे हर साल नई सनद मांगी जाए।"

लगता है औरंगज़ेब को अपनी प्रजा की धार्मिक भावनाओं के सम्मान का बहुत अधिक ध्यान रहता था। हमारे पास औरंगज़ेब का फ़रमान (2 सफ़र, 9 जुलूस) है जो असम के शहर गोहाटी के उमानन्द मन्दिर के पुजारी सुदामन ब्राह्मण के नाम है। असम के हिन्दू राजाओं की ओर से इस मन्दिर और उसके पुजारी को ज़मीन का एक टुकड़ा और कुछ जंगलों की आमदनी जागीर के रूप में दी गई थी, ताकि भोग का ख़र्च पूरा किया जा सके और पुजारी की आजीविका चल सके। जब यह प्रांत औरंगजेब के शासन-क्षेत्र में आया तो उसने तुरंत ही एक फ़रमान के द्वारा इस जागीर को यथावत रखने का आदेश दिया।

हिन्दुओं और उनके धर्म के साथ औरंगज़ेब की सहिष्णुता और उदारता का एक और सबूत उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के पुजारियों से मिलता है। यह शिवजी के प्रमुख मन्दिरों में से एक है, जहां दिन-रात दीप प्रज्वलित रहता है। इसके लिए काफ़ी दिनों से प्रतिदिन चार सेर घी वहां की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता था और पुजारी कहते हैं कि यह सिलसिला मुग़ल काल में भी जारी रहा। औरंगज़ेब ने भी इस परम्परा का सम्मान किया। इस सिलसिले में पुजारियों के पास दुर्भाग्य से कोई फ़रमान तो नहीं उपलब्ध है, परन्तु एक आदेश की नक़ल ज़रूर है जो औरंगज़ेब के काल में शहज़ादा मुराद बख़्श की तरफ़ से जारी किया गया था। (5 शव्वाल 1061 हि०) को यह आदेश शहंशाह की ओर से शहज़ादा ने मन्दिर के पुजारी देव नारायण के एक आवेदन पर जारी किया था। वास्तविकता की पुष्टि के बाद इस आदेश में कहा गया है कि मन्दिर के दीप के लिए चबूतरा कोतवाल के तहसीलदार चार सेर (अकबरी) घी प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध कराएं। इसकी नक़ल मूल आदेश के जारी होने के 93 साल बाद (1153 हिजरी) में मुहम्मद सअदुल्लाह ने पुनः जारी की।

साधारणतया इतिहासकार इसका बहुत उल्लेख करते हैं कि अहमदाबाद में नागर सेठ के बनवाए हुए चिन्तामणि मन्दिर को ध्वस्त किया गया, परन्तु इस वास्तविकता पर पर्दा डाल देते हैं कि उसी औरंगज़ेब ने उसी नागर सेठ के बनवाए हुए शत्रुन्जया और आबू मन्दिरों को काफ़ी बड़ी जागीरें प्रदान कीं।

निःसंदेह इतिहास से यह प्रमाणित होता है कि औरंगज़ेब ने बनारस के विश्वनाथ मन्दिर और गोलकुण्डा की जामा-मस्जिद को ढा देने का आदेश दिया था, परन्तु इसका कारण कुछ और ही था। विश्वनाथ मन्दिर के सिलसिले में घटनाक्रम यह बयान किया जाता है कि जब औरंगज़ेब बंगाल जाते हुए बनारस के पास से गुज़र रहा था, तो उसके क़ाफ़िले में शामिल हिन्दू राजाओं ने बादशाह से निवेदन किया कि वहां क़ाफ़िला एक दिन ठहर जाए तो उनकी रानियां बनारस जा कर गंगा नदी में स्नान कर लेंगी और विश्वनाथ जी के मन्दिर में श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर आएंगी। औरंगज़ेब ने तुरंत ही यह निवेदन स्वीकार कर लिया और क़ाफ़िले के पड़ाव से बनारस तक पांच मील के रास्ते पर फ़ौजी पहरा बैठा दिया। रानियों पालकियों में सवार होकर गईं और स्नान एवं पूजा के बाद वापस आ गई, परन्तु एक रानी (कच्छ की महारानी) वापस नहीं आई, तो उनकी बड़ी तलाश हुई, लेकिन पता नहीं चल सका। जब औरंगज़ेब को मालूम हुआ तो उसे बहुत ग़स्सा आया और उसने अपने फ़ौज के बड़े-बड़े अफ़सरों को तलाश के लिए भेजा। आख़िर में उन अफ़सरों ने देखा कि गणेश की मूर्ति जो दीवार में जड़ी हुई है, हिलती है। उन्होंने मूर्ति हटवा कर देखा तो तहख़ाने की सीढ़ी मिली और गुमशुदा रानी उसी में पड़ी रो रही थी। उसकी इज़्ज़त भी लूटी गई थी और उसके आभूषण भी छीन लिए गए थे। यह तहख़ाना विश्वनाथ जी की मूर्ति के ठीक नीचे था। राजाओं ने इस हरकत पर अपनी नाराज़गी और विरोध प्रकट किया। चूंकि यह बहुत घिनौना अपराध था, इसलिए उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनकी मांग पर औरंगज़ेब ने आदेश दिया कि चूंकि पवित्र-स्थल को अपवित्र किया जा चुका है। अतः विश्वनाथ जी की मूर्ति को कहीं और ले जा कर स्थापित कर दिया जाए और मन्दिर को गिरा कर ज़मीन को बराबर कर दिया जाए और महंत को गिरफ़्तार कर लिया जाए।

डॉक्टर पट्टाभि सीता रमैया ने अपनी प्रसिद्ध पस्तक 'द फ़ेदर्स एण्ड द स्टेन्स' में इस घटना को दस्तावेज़ों के आधार पर प्रमाणित किया है। पटना म्यूज़ियम के पूर्व क्यूरेटर डा. पी०एल० गुप्ता ने भी इस घटना की पुष्टि की है।

गेलकुण्डा की जामा-मस्जिद की घटना यह है कि वहां के राजा जो तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध थे, रियासत की मालगुज़ारी वसूल करने के बाद दिल्ली का हिस्सा नहीं भेजते थे। कुछ ही वर्षों में यह रक़म करोड़ों की हो गई। तानाशाह ने यह ख़ज़ाना एक जगह ज़मीन में गाड़ कर उस पर मस्जिद बनवा दी। जब औरंगज़ेब को इसका पता चला तो उसने आदेश दे दिया कि यह मस्जिद गिरा दी जाए। अतः गड़ा हुआ ख़ज़ाना निकाल कर उसे जन-कल्याण के कामों में ख़र्च किया गया।

ये दोनों मिसालें यह साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि औरंगज़ेब न्याय के मामले में मन्दिर और मस्जिद में कोई फ़र्क़ नहीं समझता था।

"दुर्भाग्य से मध्यकाल और आधुनिक काल के भारतीय इतिहास की घटनाओं एवं चरित्रों को इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर मनगढ़ंत अंदाज़ में पेश किया जाता रहा है कि क्षूठ ही ईश्वरीय आदेश की सच्चाई की तरह स्वीकार किया जाने लगा, और उन लोगों को दोषी ठहराय जाने लगा जो तथ्य और मनगढ़ंत बातों में अन्तर करते हैं। आज भी साम्प्रदायिक एवं स्वार्थी तत्व इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने और उसे ग़लत रंग देने में लगे हुए हैं।" ■■

(लेखक उड़ीसा राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल, राज्यसभा के सदस्य और इतिहासकार हैं।)

कहानी



तीन दृश्य एक चेहरा

कमलेश भारतीय

तीन दृश्य मेरी आंखों में ठहरे हुए हैं और इन दृश्यों में एक ही चेहरा सामने आता है। सोते-जागते मैं इन्हें देखता रहता हूं।

उस दिन मेरी ड्यूटी नाइट-शिफ़्ट में थी। अख़बार के दफ़्तर में क्या दिन तो क्या रात। लोगों का आना-जाना लगा ही रहता है और देर रात वह आया था। रिसेप्शन से फ़ोन आया था कि कोई व्यक्ति किसी कांड के बारे में कुछ सनसनीख़ेज जानकारी देना चाहता है। क्या उसे न्यूज़-रूम में भेज दें?

अब अख़बार और सनसनी तो जैसे एक-दूसरे के लिए बांहें फैलाए स्वागत के लिए तैयार ही रहते हैं। उसे वरिष्ठ साथी ने फ़ौरन अंदर बुला लिया।

बिल्कुल यहीं से मेरा पहला दृश्य शुरू होता है। पाठक कृपया ध्यान दें। वह अकेला ही आया था और एकदम बौखलाया हुआ था। वह जान नहीं पा रहा था कि बात को कहां से शुरू करें।

वह सनसनीख़ेज रहस्योद्घाटन करने से पहले अपनी जानकारी देते हुए



अपने बचपन की गाथा सुनाने लग गया था। उखड़ी-उखड़ी सांसों में वह अंग्रेज़ी में बता रहा था कि उसका जन्म पालन-पोषण पहाड़ के किसी गांव में हुआ था। उसने अपने गांव का कोई भला-सा नाम भी बताया था, जो मुझे याद नहीं रहा। इस मामूली भूल के लिए पाठक मुझे क्षमा कर देंगे।

अब अपने आपको नालायक कौन कहता है। उसने भी बताया कि वह पढ़ने में होशियार था और अंग्रेज़ी तो ख़ूब पटर-पटर बोलता था। हर क्लास में फ़र्स्ट डिवीज़न और अध्यापकों की शाबाशी। मां ने मुश्किल से पढ़ाया। बी.ए. से आगे मां की हिम्मत जवाब दे गई थी। नौकरी की तलाश करते-करते वह इस शहर में एक क्लर्क बनकर आ गया था। इस तरह बचपन से जवानी तक की गाथा सुनाते हुए वह मां को याद करके रोया भी और अपनी कमीज़ के कफ़ों से आंखें भी पोंछी। दृश्य काफ़ी भावुक-सा हो गया- जैसे निर्देशक के सुझाए गए अभिनय से पात्र आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इसी तरह वह भावावेश में बहने लगा था।

अब आप देखिए कि अख़बार के दफ़्तर में इस तरह लंबी जीवन गाथा सुनने का न कोई समय है, न अवसर। हम किसी तरह धैर्यपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। सुविधा होती तो पीछा छुड़ा कर भाग निकलते। पर हम भाग नहीं सकते थे। हमें तो देर रात तक ड्यूटी देनी थी और एक संस्करण निकालने की ज़िम्मेदारी सिर पर थी।

उसकी जीवन-गाथा की पुस्तक बंद करने के उद्देश्य से वरिष्ठ साथी ने उसे कहा कि इतना समय हमारे पास नहीं है। पैड उठाओ और अपनी स्टेटमेंट लिखकर चलते बनो। छपने लायक़ कुछ होगा तो सुबह छप जाएगा, नहीं तो हमारे पास रद्दी की टोकरी रहती है जो हर समय मुंह खोले रहती है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। इस तरह अख़बार का नहीं, रद्दी की टोकरी का पेट भर जाएगा।

कुछ देर तक वह पैड और पेन लेकर कुछ लिखने की कोशिश करता रहा परंतु वह तो आत्मकथा सुनाने आया था, लिखने नहीं, वह फिर पैड को एक तरफ़ धकेल कर शुरू हो गया-आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं आपको एक स्कैंडल की जानकारी देना चाहता हूं और आप हैं कि...

-पर आप स्कैंडल की बजाय अपनी राम कहानी सुना रहे हैं।

-यह राम कहानी उसी से जुड़ी हुई है।

-बेशक जुड़ी होगी पर हमें अतीत के हिस्से से कोई मतलब नहीं। हमें तो स्कैंडल की बात बताइए और काम करने दीजिए।

-पर आप यह क्यों नहीं सोचते कि एक ग़रीब विधवा मां के पास पैसे होते तो पहाड़ के एक छोटे से गांव का एक होशियार युवक बी.ए. करके इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनता और गांव का नाम रोशन करता। खेद की बात है कि आज वह युवक क्लर्क है और करप्शन के एक स्कैंडल में फंसा होने के कारण किसी भी दिन नौकरी से निकाला जा सकता है। उफ़्! मेरी मां मुझे क्या बनाना चाहती थी और मैं क्या बन गया।

इस तरह वह फफक-फफक कर रोने लगा। न्यूज़ रूम संवेदनहीन होता है। वहां आंसुओं का कोई महत्व नहीं। न्यूज़ रूम सिर्फ़ काम की बात सुनता है, बेकार की बातों पर किसी बहरे की तरह सिर्फ़ आंखें झपकाता रहता है।

इस तरह वह रोने के बाद ख़ुद ही चुप हो गया। सुबकते हुए बताने लगा कि शहर में बड़ा लाइसेंस बनाने का कांड हुआ है, उसी में वह भी शामिल है और चार्जशीट किया जा चुका है। एक गिरोह वाहनों के लाइसेंस बनवाने के आरोप में क़ाबू किया गया था। ऐसा समाचार आया भी था पर उससे जुड़े किसी बौखलाए हुए चेहरे का सामना इस तरह आधी रात को करना पड़ेगा, वह नहीं जानता था।

अब चोर कब कहता है कि चोरी उसने की है और वह भी अपनी सफ़ाई पेश किए जा रहा था। वह अपने ऊपर लगाए आरोपों का खंडन करते कहे जा रहा था कि लाखों रुपये के स्कैंडल में क्या उस जैसा एक क्लर्क कोई भूमिका निभा सकता है। इसमें मामूली क्लर्क का क्या योगदान हो सकता है। बड़े-बड़े मगरमच्छों को कोई कुछ नहीं कहता, उस जैसी छोटी-छोटी मछलियों को क़ाबू करके भ्रष्टाचार हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। उसकी छोटी-सी गृहस्थी, छोटा-सा स्वर्ग घर नरक में बदल गया है। वह घर न जाकर अख़बारों के दफ़्तर में घूम रहा है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। उस जैसे क्लर्कों का जीवन बर्बाद हो रहा है।

वरिष्ठ साथी ने व्यंग्य किया-माना आप छोटी मछली ही हैं, पर जब तक आप कांटे से लगा चारा नहीं खाते, तब तक नहीं फंसते। वह मायूस होकर बोला-काजल की कोठरी में कब तक कोई दाग़ से बच सकता है।

–फिर आपको मगरमच्छों के ख़िलाफ़ शिकायत क्यों? उनकी पाचन शक्ति से कौन वाक़िफ़ नहीं। उसे पानी से निकालो, वह रेत पर मस्त लोटने लगता है, जबकि पानी के बिना छोटी मछली का गुज़ारा नहीं, फिर उसी पानी को गंदला क्यों करते हैं? मगरमच्छ के ख़िलाफ़ लड़ाई क्यों नहीं छेड़ते?

–पर आप उनके स्कैंडल में शामिल होने की बात क्यों नहीं लिखते?

– देखिए, मिस्टर ए.बी.सी.। अख़बार भाषणबाज़ी को कोई मान्यता नहीं देता है। आपके पास क्या प्रमाण है कि वे लोग स्कैंडल में शामिल थे?

उसके पास अपनी बात के प्रमाण में कुछ भी नहीं था-सिवाय ग़ुस्से के, बौखलाहट, नौकरी छूट जाने के डर और समाज में बदनाम होने के डर के।

पता नहीं कब उसे नौकरी से अलग कर दिया जाएगा...पता नहीं कब पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेगी। ख़ैर। जैसे-तैसे उसे चाय की प्याली पिलाकर विदा किया।

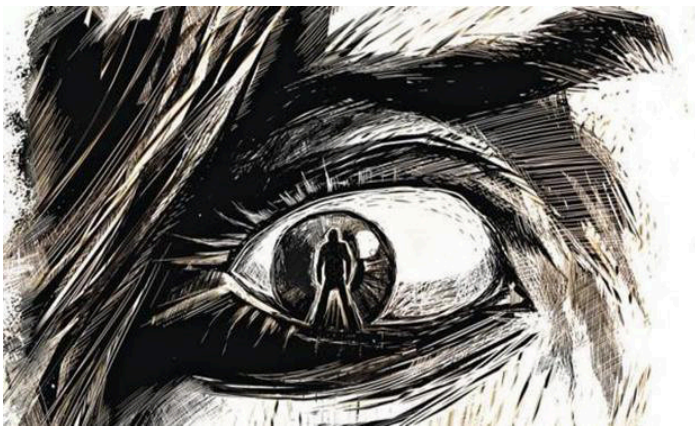
पर पाठकगण। यह दृश्य आधा ही था। आधा दृश्य इससे भी भयानक था।

कुछ समय बाद रिसेप्शन से फ़ोन आया कि वह युवक रिसेप्शन पर ही डेरा डाले बैठा है और कि अपने घर नहीं जा रहा। यदि आपने उसे यहां से हटने के लिए नहीं कहा तो हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। वरिष्ठ साथी हंसे-अरे भाई लोगो। पुलिस से बचने के लिए तो वह वहां बैठा है और आप लोग...ख़ैर। उसे समझाते हैं।

वह हमारा कोई नहीं लगता था पर घर जाने या कहीं और बैठने को कह देने में कोई हर्ज नहीं था।

गेट पर जाकर देखा कि उसके पास एक थैला है जिसमें वह क्या-क्या भरे हुए है, कोई नहीं जानता। जैसे वह इस समाज से भाग निकलने की तैयारी किए हुए था। सुबकते हुए वह कहने लगा-मैं कहता न था कि मैं कुछ और बनता पर मैं एक कठपुतली बनकर रह गया और अब कठपुतली की जान सांसत में है।

इसी बीच पुलिस की जिप्सी गेट पर आकर रुकी। पुलिस के जवान उतरे और उसे पहचान कर जिप्सी में खींच लिया। गेंद की तरह उछल कर वह जिप्सी में जा गिरा। उसके थैले का सामान फ़र्श पर उलट दिया गया।



वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा-मेरी कोई नहीं सुनता। कौन कितना कमीशन लेता था, कोई नहीं मानता। अफ़सर घरों में सोए हैं लंबी तान के और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। लीजिए तलाशी।

थैले के कपड़ों में उसने भाग कर एक कपड़ा उठाकर सीने से लगा लिया। यह सूट मैं मां के लिए लाया था पर वह मेरा इंतिज़ार न कर सकी। मेरी नौकरी पर आंच देखकर दम तोड़ गई। पुलिस कहां सुनती है ऐसे क़िस्से। जिप्सी स्टार्ट हुई और उसे लेकर अंधेरे में खो गई। ज़ाहिर है वह रात उसकी पुलिस स्टेशन में कटी होगी।

पाठकगण। इसके बाद के दो दृश्य बहुत छोटे हैं, मानो उस दृश्य के पूरक हों।

मैं उस आदमी, उस रात और उस बात को एकदम भूल गया था-बिल्कुल रात गई, बात गई की कहावत की तरह। इस बीच एक दिन एस्टेट ऑफ़िस किसी कवरेज के सिलसिले में गया तो देखता क्या हूं कि चार पुलिस जवानों से घिरा, हथकड़ियों में बंधा एक युवक कचहरी की ओर ले जाया जा रहा है। कुछ जाना-पहचाना चेहरा लगा और इस दृश्य के साथ अख़बार के दफ़्तर में आधी रात को देखा हुआ चेहरा जुड़ गया।

न वह युवक मुझ से आंखें मिला पाया, न मैं। दोनों ने एक-दूसरे को देखकर भी अनदेखा करते हुए चेहरे दूसरी तरफ़ कर लिए। पर इससे क्या होता है। मैंने उसे देख लिया था, उसने मुझे। मैं अनुमान लगा रहा था कि आख़िर मछली क़ानून के जाल में फंस ही गई। मछेरे उसे निगलने के लिए कचहरी की ओर घसीट रहे हैं।

मुझे उसके प्रति सहानुभूति उमड़ आई। पर सहानुभूति प्रकट करने का यह कोई उचित स्थान नहीं था। अख़बार से भी ज़्यादा संवेदनहीनता पुलिस की वर्दी में छिपी होती है। छिपी होनी भी ग़लत है। चेहरे से ही टपकती है संवेदनहीनता। इस तरह बिना दुआ-सलाम या परिचित होने का आभास दिए मैं आगे निकल तो गया पर दृश्य मुझे याद रहा...मेरी आंखों में उतर आया।

प्रिय पाठक। तीसरा दृश्य बम्बइया फ़िल्मों की तरह सुखांत है।

रोज़ गार्डन में गुलाब का मेला लगा था। उस मेले में ख़ूबसूरत चेहरों और जोड़ों की भीड़ लगी थी।

इसी भीड़ में एक जोड़े को देखकर मैं हैरान हो उठा। वही...बिल्कुल वही चेहरा था...खिलखिलाता हुआ, जिसे कुछ दिन पहले पुलिस के जवानों से घिरे हथकड़ी में बंधे युवक के रूप में देखा था। उसकी पत्नी भी ख़ुश थी और वह उसके बालों में फूल लगा रहा था जिसे वह सार्वजनिक रूप से लगवाने से झिझक रही थी। इसी चुहलबाज़ी में मेरा ध्यान उस ओर गया था। यह चेहरा? एक-साथ तीन-तीन बार देखा चेहरा मैं कैसे भूल सकता था।

इस बार उसने चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं की। मेरे पास आया और कहने लगा-यह चेहरा कैसे खिलखिला रहा है, यही सोच रहे हैं, न जनाब। मेरे हाथों में गुलाब कैसे है, यही देखकर हैरान हैं न, आप। यहां सब चलता है। इसलिए एक ग़रीब मां का बेटा ही इस समाज में मातम क्यों मनाता फिरे? क्यों न दूसरों की तरह हंसे-खेले, जिये।

-और मां की याद?

-ईमानदारी की तरह मां भी मर गई, जनाब। अब तो बेईमानी सामने है, उसे गुलाब भेंट करने जा रहा हूं, इतना कहते-कहते वह आगे बढ़ गया।

मैं भौंचक्का इन तीन दृश्यों को सोते-जागते, उठते-बैठते देखा करता हूं और भीड़ में अब उस चेहरे को अलग करके देखना भी कठिन हो गया है।

■■

आख़िरी पन्ना

एक ख़त 'प्यारी बेटी' के नाम



प्यारी बेटी !

हम इससे पहले भी लिखते और कहते आए हैं कि अख़लाक़ (आचरण) ठीक करो, बिगाड़ ख़त्म करो, वासना तथा बुरी इच्छाओं पर लगाम लगाओ, ये चीज़ें लिखते-लिखते और आवाज़ लगाते-लगाते हमारे क़लम के सिपाही थक गए और ज़बानें सूख गयीं, लेकिन फिर भी क़ौम ने अनसुनी कर दिया और हमारी आवाज़ रेगिस्तान की आवाज़ साबित हुई। उल्टे यह हुआ है कि बुराइयों में दिन-ब-दिन वृद्धि होने लगी और बिगाड़ फैलने लगा, बेपर्दगी आम हो गयी, नग्नता और अश्लीलता चरम सीमा पर पहुंच गयी। इसका दायरा किसी ख़ास मुल्क या समाज तक सीमित न रहा, बल्कि अब तो मेरे ख़याल के मुताबिक़ कोई भी देश बेपर्दगी और नग्नता की इस अभिशाप से सुरक्षित न रहा। हम इस बुराई को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुए और न आइन्दा इसकी उम्मीद ही नज़र आती है। तुम्हें मालूम है कि ऐसा क्यों है? इसलिए कि समाज को सुधारने का काम तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया और न यही मालूम हो सका कि सुधार हो तो कैसे हो?

बेटी! इस्लाह यानी सुधार का दरवाज़ा तो तुम्हारे सामने खुला हुआ है, उसकी कुंजी भी तुम्हारे हाथ में है। जब तुम इस हक़ीक़त को मान लोगी की वाक़ई तुम्हारी इस्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ है, और तुम उसमें दाख़िल भी हो जाओगी तो बिगाड़ आपसे आप दूर हो जाएगा और हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।

यह सही है कि गुनाह के रास्ते में पहला क़दम मर्द ही उठाता है, औरत कभी पहल नहीं करती, लेकिन यह भी सच है कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी शामिल न हो तो वह अपने मक़सद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल में अगर नर्मी न हो तो वह इस संगीन जुर्म को कर ही नहीं सकता। यह तुम ही हो जिसने उसके लिए अपने दरवाज़े खोल रखे हैं और वह उसमें दाख़िल होने में कामयाब हो सका है। तुम चोर से कहती हो कि तशरीफ़ लाइये, पधारिये, दिलो निगाह बिछे हुए हैं, और जब वह अपना काम कर चुकता है तो फिर चीखती हो कि दौड़ो, बचाओ मैं तो लुट गयी।

काश! तुम पहली मुलाक़ात ही में तन कर खड़ी हो गयी होती, उससे नज़र फेर ली होती और मज़बूत इरादे के साथ बेरुख़ी और बेतवज्जही का इज़हार किया होता और अगर यह उपाय और कोशिश भी नाकाम हो जाती और बात बेशर्मी और बेहयायी तक पहुंच जाती, वह बदतमीज़ी और बेशर्मी पर उतर आता और उसी लम्हें तुम जूती उतार कर उसके सर पर रसीद कर देती। अगर तुम ऐसा करती तो फिर देखती कि उस राह से गुज़रने वाला हर व्यक्ति तुम्हारा मददगार और सहारा बन जाता और फिर किसी बदकार और दुराचारी को किसी शरीफ़ लड़की पर हाथ डालने की हिम्मत न पड़ती।

सच तो यह है कि एक औरत की कामयाबी इस बात में निहित है कि वह नेक और शरीफ़ बीवी बन जाए, एक बाइज़्ज़त मां का मक़ाम उसे हासिल हो और बिलआख़िर वह घर की मालकिन बन जाए। यह हक़ीक़त सभी औरतों पर बराबर से चस्पा होती है चाहे वह किसी शहंशाह की बीवी हो, बेटी हो या अमीरज़ादी हो। औरत की आख़िरी आरज़ू शादी ही होती है, चाहे वह पार्लियामेन्ट की मेम्बर और इक़्तिदार और हुकूमत की मालिक ही क्यों न हो।

बेटियों! शादी की मन्डी में मन्दी तुम्हारी वजह से आई है। अगर तुम्हारे अन्दर अपनी इज़्ज़त व आबरू की परवाह करने वाली लड़कियां हों तो वह मन्दी कभी देखने में न आये और न गुनाहों की मन्डी को तरक़्क़ी हासिल हो। जब स्थिति यह है तो तुम ख़ामोश क्यों बैठी हो? शरीफ़ औरतें इस मुसीबत के ख़िलाफ़ क्यों न एक हो जाएं ? यक़ीन जानो, इस काम के लिये तुम ही ज़्यादा मुनासिब हो और हम पुरुषों की अपेक्षा इस स्थिति से निपटने की ज़्यादा ताक़त भी तुम ही को हासिल है, इसलिए कि तुम औरतों की भाषा और शैली से ज़्यादा वाक़िफ़ हो और उन्हें अपनी बात तुम ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकती

बेटी ! इस्लाह यानी सुधार का दरवाज़ा तो तुम्हारे सामने खुला हुआ है, उसकी कुन्जी भी तुम्हारे हाथ में है। जब तुम इस हक़ीकत को मान लोगी की वाक़ई तुम्हारी इस्लाह का



दरवाज़ा खुला हुआ है, और तुम उसमें दाखिल भी हो जाओगी तो बिगाड़ आपसे आप दूर हो जायेगा और हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।

हो। इसलिए भी तुम्हें यह काम अन्जाम देना चाहिये कि इस बिगाड़ का निशाना तुम्हारी ही ज़ात बनती है।

गुमराह और भटकी हुई बहनों को सीधे रास्ते की तरफ़ आने की दावत दो, उनके दिलों में ख़ुदा का ख़ौफ़ पैदा करो। अगर इससे भी उनके दिल न सहमे तो अस्ल मर्ज़ से उन्हें डराओ, अगर इससे भी न मानें तो सीधे और स्पष्ट अन्दाज़ में उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि अभी तुम्हारे अन्दर जवानी की दिल फ़रेबियां और दिलरुवाइयां हैं, इसलिए नौजवान लड़के तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते हैं और तुम्हारे इर्द-गिर्द चक्कर लगाते फिरते हैं। मगर ज़रा यह तो बताओ कि क्या जवानी का यह अल्हड़पन, ख़ासियत, ख़ूबसूरती और हुस्न हमेशा क़ायम रहेगा? आख़िर दुनिया की किस चीज़ को हमेशगी और स्थायित्व हासिल है कि लड़की का लड़कपन और हसीनों का हुस्न हमेशा बना रहेगा?

ज़रा सोचो तो सही, क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक़्त जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, रीढ़ की हड्डी तक टेढ़ी हो जाएगी और चेहरे पर चमक और रौनक़ के बजाए झुर्रियां पड़ी होंगी। फिर उस वक़्त किसकी मुहब्बत भरी नज़रें तुम्हारी तरफ़ उठेंगी? और कौन तुम्हारी ख़बरगीरी करेगा। तुम्हें मालूम भी है कि बूढ़ी औरतों की इज़्ज़त और सम्मान कौन लोग करते हैं? बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां उनकी इज़्ज़त व सम्मान करते हैं। और इस मरहले में बेटे, बेटियों, पोते-पोतियों वाली महिलाएं अपने घर, ख़ानदान की मलिका होती हैं और ख़ुशनसीबी के तख़्त पर आसीन होती हैं।

जबकि दूसरी औरत.....उस पर जो इस हाल से गुज़रता है, इससे तुम

बुराइयां इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता और न ही एक ही वक़्त में उन्हें दूर किया जा सकता है। सही तरीक़ा यह है कि हम हक़ के रास्ते की तरफ़ भी उसी अन्दाज़ से लौटें, जिस अन्दाज़ से बुरे रास्ते पर जा लगे थे। चाहे यह सफर लम्बा ही क्यों न हो। मेरी बेटियों ! मैं तुमसे गुफ़्तगू कर रहा हूं , ऐ मेरी बेटियों ! याद रखना, कि तुम्हारी इज़्ज़ त तुम्हारे हाथ में है, हम पुरुषों के हाथ में नहीं । इस्लाह (सुधार) की कुंजी तुम्हारे हाथ में है अगर तुम चाहोगी तो अपनी इस्लाह आप कर लोगी और तुम्हारी इस्लाह से सारी उम्मत की इस्लाह हो जाएगी।



ज़्यादा वाक़िफ़ हो। क्या यह लज़्ज़तें उन तकलीफ़ों का बदल हो सकती हैं और क्या इस ''आग़ाज़'' के बदले उस दर्दनाक और भयानक ''अंजाम'' का सौदा किया जा सकता है? इस तरह की बातें किसी दलील की मोहताज नहीं हैं।

बुराइयां इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता और न ही एक ही वक़्त में उन्हें दूर किया जा सकता है। सही तरीक़ा यह है कि हम हक़ के रास्ते की तरफ़ भी उसी अन्दाज़ से लौटें, जिस अन्दाज़ से बुरे रास्ते पर जा लगे थे। चाहे यह सफ़र लम्बा ही क्यों न हो। जो शख़्स लम्बे सफ़र से घबराता है (हालांकि उसके अलावा और कोई रास्ता और उपाय भी नहीं) तो ऐसा शख़्स कभी भी अपनी मंज़िल पर नहीं पहुंच सकता।

मेरी बेटियों ! मैं तुमसे ग़ुफ़्तगू कर रहा हूं , ऐ मेरी बेटियों ! याद रखना, कि तुम्हारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, हम पुरुषों के हाथ में नहीं । इस्लाह (सुधार) की कुंजी तुम्हारे हाथ में है अगर तुम चाहोगी तो अपनी इस्लाह आप कर लोगी और तुम्हारी इस्लाह से सारी उम्मत की इस्लाह हो जाएगी। ■■

वस्सलाम

अली तन्तावी

फ़लाह पाने वाले!

रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया :
उस शख़्स ने फ़लाह पाई जिसने (अपने रब
की) इताअत कर ली और उसे बक़द्र
ज़रूरते-रिज़्क़ अता किया गया और
अल्लाह ने जो उसे अता किया उस
पर उसने क़नाअत इख़्तियार की।

(मिश्कात : 5165)

KANTI Monthly, New Delhi
JUNE 2023
Posted on 20-21 May 2023
Published on 18 May 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

अत:
उच्च है अल्लाह,
वास्तविक सम्राट। और देखो,
क़ुरआन पढ़ने में जल्दी न किया करो जब
तक कि तुम्हारी ओर उसकी प्रकाशना
(वह्य) पूर्णता को प्राप्त न हो,
और दुआ करो कि ऐ पालनहार! मुझे
और अधिक ज्ञान प्रदान कर।
(क़ुरआन, 20:114)

with best compliment from
Shifa Unani Herbal Clinic
(Ranchi)